

## परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ: कंडिका-1.3.1; पृष्ठ 3)

### पं.रा.सं. की शक्तियों एवं कार्यों को दर्शाने वाली विवरणी

प्राधिकार	शक्तियाँ एवं कार्य
जिला परिषद	जिला परिषद (जि.प.) जिला स्तर पर पंचायत की प्रथम स्तर है। संसाधनों के उपयोग और जिला के योजनाबद्ध विकास के लिए जि.प. को बजट बनाना है। जि.प. जिले के आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक योजना तैयार करने तथा उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने; ग्रा.पं. तथा पं.स. के कार्यकलापों में समन्वय, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण; केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा सौंपी गयी योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने; केंद्र या राज्य सरकार से प्राप्त अनुदानों या विनियोग उल्लिखित मापदंडों के अनुसार पं.स. तथा ग्रा.पं. में वितरण करने; संसाधनों की अधिप्राप्ति सुनिश्चित करने और विशेष तथा सामान्य आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा सौंपे गये कार्यों के लिए कदम उठाने के लिए जिम्मेदार है।
पंचायत समिति	पंचायत समिति (पं.स.), प्रखंड स्तर पर पं.रा.सं. का मध्यवर्ती स्तर है। पं.स. पर प्रखंड स्तर पर विकास कार्यों की जिम्मेदारी है। ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक वानिकी, पशुपालन एवं मतस्यपालन, स्वास्थ्य एवं सफाई, व्यस्क शिक्षा, सामुदायिक कार्य, कुटीर उद्योग, समाज कल्याण, परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास योजनाएँ, आगलगी, बाढ़, सूखा, भूकंप तथा अन्य प्राकृतिक विपदाओं में आपातकालीन सहायता प्रदान करना एवं अन्य कार्य जो उसे राज्य सरकार या जिला परिषद के द्वारा सौंपी जाए को करना उनका कर्तव्य है।
ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.), पं.रा.सं की जमीनी कड़ी है। सफाई कार्य एवं स्वच्छता सुनिश्चित करना, जल संसाधन का संरक्षण तथा रखरखाव, प्रकाश की व्यवस्था एवं ग्रामीण सड़कों का निर्माण, युवा कल्याण का उत्थान, परिवार कल्याण एवं खेलकूद तथा वे कार्य जो पं.स., जि.प. तथा राज्य सरकार द्वारा सौंपी जाए को करना, ग्रा.पं. का कर्तव्य है।

(स्रोत: झा.पं.रा. अधिनियम, 2001)

## परिशिष्ट-1.2

(संदर्भ: कंडिका-1.3.1; पृष्ठ 3)

### पं.रा.सं. के प्राधिकारियों के कार्यों को दर्शाने वाली विवरणी

प्राधिकारी	सौंपे गए कार्य
अध्यक्ष / प्रमुख/ मुखिया	<ul style="list-style-type: none"> <li>• जि.प./पं.स./ग्रा.पं. के अभिलेखों तथा पंजियों की समुचित अभिरक्षा सुनिश्चित करना एवं उनका संधारण करना,</li> <li>• जि.प./पं.स. के वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण रखना और उससे संबंधित सभी मामलों को पंचायत के समक्ष पेश करना ताकि उसके संबंध में पंचायत के समुचित आदेश प्राप्त हो सके और इस उद्देश्य के लिए पंचायतों के अभिलेखों की माँग कर सकते हैं,</li> <li>• जि.प./पं.स./ग्रा.पं. के कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना,</li> <li>• जि.प./पं.स./ग्रा.पं. के निधि की समुचित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा,</li> <li>• राज्य सरकार या झा.पं.रा. अधिनियम, 2001 के तहत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों का अनुपालन करना,</li> </ul>
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (मु.का.पदा.)/कार्यपालक पदाधिकारी (का.पदा.) /सचिव	<ul style="list-style-type: none"> <li>• निधि का आहरण एवं संवितरण,</li> <li>• बजट एवं लेखे तैयार करना,</li> <li>• जि.प./पं.स./ग्रा.पं. के अधिकारियों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण,</li> <li>• झा.पं.रा. अधिनियम, 2001 अथवा उसके अंतर्गत बने नियमों अथवा विनियमों के अधीन प्रदत्त कर्तव्यों का निर्वहन,</li> <li>• पंचायतों की नीतियों एवं निर्देशों का कार्यान्वयन।</li> </ul>
मुख्य योजना अधिकारी (मु.यो.अ.)	<p>मु.यो.अ. योजना तैयार करने के मामले में जि.प. को सलाह देगा और जि.प. की योजना से संबंधित सभी मामलों के लिए जिसमें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना और जिले की वार्षिक योजना तैयार करना शामिल है, के लिए उत्तरदायी होगा, और वह जिला योजना समिति का मु.का.अ. होगा।</p>
मुख्य लेखा अधिकारी (मु.ले.अ.)	<p>मु.ले.अ., जि.प. को वित्तीय नीति के मामलों में सलाह देगा तथा जि.प. के लेखाओं से सम्बन्धित सभी मामले जिसमें वार्षिक लेखे एवं बजट तैयार करना भी शामिल है, के लिए उत्तरदायी होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्यय समुचित मंजूरी के बिना नहीं किया गया है, और यदि किया गया है तो यह केवल झा.पं.रा. अधिनियम, 2001 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार किया गया है और किसी भी तरह के व्यय जो इस अधिनियम या नियम या विनियमों से समर्थित नहीं है या जिसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, अस्वीकार करेगा।</p>

(स्रोत: झा.पं.रा. अधिनियम, 2001)

## परिशिष्ट-1.3

(संदर्भ: कंडिका-1.3.3; पृष्ठ 4)

## संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 कार्यों का पं.रा.सं. को प्रत्यायोजन का ब्यौरा

क्रम संख्या	29 कार्य	प्रत्यायोजन की स्थिति
1	कृषि जिसके अंतर्गत कृषि-विस्तार भी है	आंशिक
2	भूमि विकास एवं भूमि संरक्षण	आंशिक
3	लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जलविभाजक क्षेत्र का विकास	हाँ
4	पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन	आंशिक
5	मत्स्य उद्योग	हाँ
6	सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी	नहीं
7	लघु वन्य उपज	नहीं
8	लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है	आंशिक
9	खादी ग्राम उद्योग तथा कुटीर उद्योग	आंशिक
10	ग्रामीण आवासन	नहीं
11	पेयजल	हाँ
12	ईंधन और चारा	नहीं
13	सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन	नहीं
14	ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण भी है	नहीं
15	अपारम्परिक उर्जा स्रोत	नहीं
16	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	नहीं
17	शिक्षा जिसके अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय भी हैं	आंशिक
18	तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा	नहीं
19	प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा	हाँ
20	पुस्तकालय	नहीं
21	सांस्कृतिक क्रियाकलाप	नहीं
22	बाजार एवं मेले	नहीं
23	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी हैं	हाँ
24	परिवार कल्याण	हाँ
25	महिला और बाल विकास	हाँ
26	समाज कल्याण जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण	हाँ
27	दुर्बल वर्गों का और विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	नहीं
28	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	हाँ
29	सामुदायिक अस्तियों का अनुरक्षण	आंशिक

(स्रोत: ग्रा.वि.वि., पंचायती राज, झारखण्ड सरकार के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार)

### परिशिष्ट 1.4

(संदर्भ: कंडिका-1.3.3; पृष्ठ 4)

### नमूना जाँचित जिला परिषदों के स्वीकृत बल तथा कार्यरत बल को दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	जिला परिषद का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्तियाँ
1	देवघर	25	17	8
2	धनबाद	273	90	183
3	दुमका	सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी		
4	गढ़वा	60	10	50
5	गिरीडीह	83	17	66
6	गोड्डा	7	3	4
7	हजारीबाग	73	26	47
8	जमशेदपुर	79	16	63
9	लातेहार	52	18	34
10	पाकुड़	7	3	4
11	पलामू	79	16	63
12	साहेबगंज	13	4	9
13	राँची	39	14	25
14	सिमडेगा	सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी		
<b>कुल</b>		<b>790</b>	<b>234</b>	<b>556</b>

(स्रोत: नमूना जाँचित जि.प. के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

## परिशिष्ट - 1.5

(संदर्भ: कंडिका - 1.4; पृष्ठ 4)

## ज़ि.प., ग्रा.पं. और पं.स. की स्थायी समितियों के कार्यों एवं शक्तियों को दर्शाने वाली विवरणी

समिति का नाम	सदस्य	कार्य एवं शक्तियाँ	अध्यक्ष	सचिव
<b>जिला परिषद एवं पंचायत समिति</b>				
सामान्य प्रशासन समिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>• स्थायी समितियों के सभी अध्यक्ष,</li> <li>• पं.सं. और ज़ि.प. के लिए क्रमशः एम.एल.ए. एवं एम.पी. जो कि पदेन सदस्य होंगे,</li> <li>• पं.स. के प्रमुख एवं ज़ि.प. के अध्यक्ष क्रमशः पदेन सदस्य होंगे</li> </ul>	स्थायी समितियों का कार्य, जैसा की सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किया जाए।	यथास्थिति, पं.स. के प्रमुख और ज़ि.प. के अध्यक्ष, सभापति होंगे	पं.स. एवं ज़ि.प. के लिए क्रमशः का.पदा. एवं मु.का.पदा., पदेन सचिव होंगे
स्वास्थ्य एवं शिक्षा समिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>• कम से कम छः सदस्य होंगे जो यथास्थिति, ज़ि.प. या पं.स. के सदस्यों के द्वारा अपने बीच से, निर्धारित प्रक्रिया से निर्वाचित किये जाएंगे</li> <li>• पं.स. और ज़ि.प. के लिए क्रमशः एम.एल.ए. एवं एम.पी. पदेन सदस्य होंगे</li> <li>• पं.स. के लिए प्रमुख एवं ज़ि.प. के लिए अध्यक्ष क्रमशः पदेन सदस्य होंगे</li> </ul>			
महिला, शिशु एवं सामाजिक कल्याण समिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>• कम से कम छः सदस्य होंगे जो यथास्थिति, ज़ि.प. या पं.स. के सदस्यों के द्वारा अपने बीच से, निर्धारित प्रक्रिया से निर्वाचित किये जाएंगे, परन्तु कम से कम एक महिला और अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति शामिल होगा।</li> <li>• पं.स. और ज़ि.प. के लिए क्रमशः एम.एल.ए. एवं एम.पी. पदेन सदस्य होंगे</li> <li>• पं.स. और ज़ि.प. के लिए क्रमशः उप प्रमुख एवं उपाध्यक्ष पदेन सदस्य होंगे</li> </ul>		यथास्थिति, पं.स. का प्रमुख और ज़ि.प. का अध्यक्ष, सभापति होगा	

कृषि एवं उद्योग समिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>• कम से कम छः सदस्य होंगे जो कि निर्धारित प्रक्रिया से, यथास्थिति, ज़ि.प. या पं.स. के सदस्यों द्वारा उनके बीच में से चुने जाएंगे</li> <li>• पं.स. और ज़ि.प. के लिए क्रमशः एम.एल.ए. एवं एम.पी. पदेन सदस्य होंगे</li> </ul>		अपने सदस्यों में से अध्यक्ष चुना जाएगा	
वित्त, लेखापरीक्षा तथा योजना एवं विकास समिति				
सहकारी समिति				
वन एवं पर्यावरण समिति				
संचार एवं कार्य समिति				
<b>ग्राम पंचायत</b>				
सामान्य प्रशासन समिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रत्येक समिति में पांच सदस्य ग्राम पंचायत द्वारा विशेष बैठक आयोजित कर सदस्यों द्वारा अपने बीच में से निर्वाचित किए जाएंगे, बशर्ते कोई भी सदस्य दो से अधिक स्थायी समितियों का एक साथ सदस्य नहीं होगा</li> <li>• मुखिया तथा उपमुखिया इन समितियों के पदेन सदस्य होंगे</li> <li>• ग्राम सभा अपने प्रथम बैठक में प्रत्येक स्थायी समिति के लिए अपने सदस्यों में से क्षेत्र विशेष के एक सुशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्ति को बहुमत द्वारा निर्वाचित कर मनोनीत कर सकती है बशर्ते मनोनीत सदस्य को मताधिकार नहीं होगा, परन्तु यह और भी ऐसे मनोनीत सदस्य को एक वर्ष की अवधि के पश्चात बहुमत द्वारा ग्राम सभा वापस बुला सकती है या नया सदस्य मनोनीत कर सकती है।</li> </ul>	स्थायी समिति के सदस्यों की पद की अवधि, एवं इनके कामकाज के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित किया जाए	अधिनियम में दर्ज नहीं है	ग्राम पंचायत का सचिव, स्थायी समिति का पदेन सचिव होगा
विकास समिति				
महिला, शिशु एवं सामाजिक कल्याण समिति				
स्वास्थ्य शिक्षा एवं पर्यावरण समिति				
ग्राम रक्षा समिति				
सार्वजनिक सम्पत्ति समिति				
आधारभूत संरचना समिति				

**परिशिष्ट - 1.6**

(संदर्भ: कंडिका-1.4.1; पृष्ठ 5)

**जि.यो.स. की उप - समितियों के नामों को दर्शाने वाली विवरणी**

क्र. सं.	उप - समिति
1	ग्रामीण विकास कार्यक्रम उप-समिति
2	कृषक विकास कार्यक्रम उप-समिति
3	शहरी विकास उप-समिति
4	सिंचाई विकास कार्यक्रम उप-समिति
5	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी श्रेणी एवं कमजोर वर्ग के विकास, महिला और बाल विकास कार्यक्रम अनुनय उप-समिति
6	रोजगार निर्माण एवं उपलब्धता उप-समिति
7	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उप-समिति
8	शिक्षा उप-समिति
9	जलापूर्ति उप-समिति
10	पथ एवं परिवहन विकास उप-समिति
11	निवेशित क्षेत्र में स्थित भूमि के उपयोग के निर्धारण के लिए उप-समिति
12	विधायकों एवं सांसदों के क्षेत्रों के विकास योजनाओं के विकास कार्य के अनुनय के लिए उप-समिति

(स्रोत: झा.पं.रा. अधिनियम, 2001)

**परिशिष्ट-2.1.1**

(संदर्भ: कंडिका-2.1.1; पृष्ठ 17)

**चयनित जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों की सूची**

क्रम संख्या	चयनित ग्राम पंचायतों के नाम	चयनित पंचायत समितियों के नाम	चयनित जिला परिषदों का नाम
1	अलखडीहा	बलियापुर (धनबाद)	धनबाद
2	अमझार		
3	बाघमारा		
4	बलियापुर पश्चिम		
5	भिखराजपुर		
6	परसबनीया		
7	भुइया चित्रो	तोपचाँची (धनबाद)	
8	बिशनपुर		
9	चित्रपीर		
10	गेंदानावाडीह		
11	गोमो उत्तर		
12	गोमो दक्षिण		
13	मदायडीह	चान्हो (राँची)	राँची
14	चटवाल		
15	रोल		
16	सिलागाँई		
17	सोंस		
18	बामे		
19	बुकबुका	खलारी (राँची)	
20	चुरी मध्य		
21	चुरी पश्चिम		
22	एङ्कोरो		
23	सपारोम		
24	टुंडुल दक्षिण		
25	अमझरिया	नगड़ी (राँची)	
26	सटाकी		
27	बानापीरी		
28	हुरहुरी		
29	लहना		
30	तिगरा		
31	अवसाने	चैनपुर (पलामू)	पलामू
32	बसरिया ककलान		
33	चैनपुर		
34	खुराकला		
35	कोसियारा		
36	महुगावां		
37	नरसिंह पथारा	लेस्लीगंज (पलामू)	
38	नेउरा		
39	सालातुआ		
40	हरातुआ		
41	जामुडीह		
42	जुरु		
43	रजहरा		



क्रम संख्या	चयनित ग्राम पंचायतों के नाम	चयनित पंचायत समितियों के नाम	चयनित जिला परिषदों का नाम
44	सोहदाग खुर्द	नावा बाजार (पलामू)	
45	तुकबेरा		
46	धुब	पांकी (पलामू)	
47	करार		
48	नौडीहा-1		
49	नूरु		
50	सुंडी		
51	ताल		
52	हिसरा बरवाडीह	पाटन (पलामू)	
53	किशुनपुर		
54	मेराल		
55	पाल्हे कलाम		
56	रूंडीडीह		
57	सूंठा		
58	चपरी	भवनाथपुर (गढ़वा)	गढ़वा
59	मंझिगावां		
60	मकरी		
61	मुकुंदपुर	केतर (गढ़वा)	
62	पाचाडूमर		
63	घघरी	सगमा (गढ़वा)	
64	डंडई	डंडई (गढ़वा)	
65	करके		
66	अचला	गढ़वा	
67	चतरपुर		
68	दुबे मरहटिया		
69	नवादा		
70	ओबरा		
71	पिपरा		
72	अन्धरीगादर	देवघर	देवघर
73	महतोडीह उदयपुरा		
74	पिछड़ीबाद		
75	पुनासी		
76	संग्रालोहिया		
77	शंकरी		
78	महुआटांड	मारगोमुंडा	
79	मुरलीपहाड़ी		
80	सुग्गापहाड़ी -1		
81	बलथर	मोहनपुर	
82	बांक		
83	बिचगढ़हा		
84	हरकट्टा		
85	कटवन		
86	नया चिकठ		
87	सरासनी		

क्रम संख्या	चयनित ग्राम पंचायतों के नाम	चयनित पंचायत समितियों के नाम	चयनित जिला परिषदों का नाम
88	गोरसंडा	गोड्डा	गोड्डा
89	मखनी		
90	मंजवारा घाट		
91	मरखन		
92	नूनबट्टा		
93	पनदाहा		
94	रानीडीह		
95	सैदपुरा		
96	सुंदमारा		
97	आकाशी		
98	बाघमारा		
99	बरगच्छा हरियारी		
100	दानरे		
101	नवडीहा		
102	पसाई		
103	पिंडराहाट		
104	पोड़ैयाहाट		

**परिशिष्ट-2.1.2**  
(संदर्भ: कंडिका-2.1.3.3; पृष्ठ 21)

राज्य के द्वारा जिलों को बी.आर.जी.एफ. निधि देर से विमुक्त करने के कारण ब्याज की हानि दर्शाने वाली विवरणी

जिला	पत्रांक	केंद्र द्वारा अनुदान विमुक्ति की तिथि	अनुदान की राशि (₹ करोड़ में)	आवंटन पत्र सं.	राज्य द्वारा अनुदान विमुक्ति की तिथि	कितने दिनों के बाद अनुदान विमुक्त किया गया	अनुदान विमुक्त करने में विलंब	ब्याज की दर	ब्याज की राशि (₹ में)
कोडरमा	N-11019/1209/2012-BRGF	31/03/2012	1.57	14	22/05/2012	52	37	9.50	151193.2
पश्चिमी सिंहभूम	N-11019/1145/2011-BRGF	31/03/2012	8.87	15	22/05/2012	52	37	9.50	854193.2
दुमका	N-11019/1546/2012-BRGF	05/11/2012	10.21	46	17/12/2012	42	27	9.00	679734.2
गुमला	N-11019/1523/2012-BRGF	05/11/2012	9.87	46	17/12/2012	42	27	9.00	657098.6
गढ़वा	N-11019/1545/2012-BRGF	09/11/2012	4.90	46	17/12/2012	38	23	9.00	277890.4
जामताड़ा	N-11019/172/2013-BRGF	20/09/2013	13.29	34	21/11/2013	62	47	9.50	1625749
देवघर	N-11019/130/2013-BRGF	26/09/2013	13.35	34	21/11/2013	56	41	9.50	1424610
सरायकेला	N-11019/239/2011-BRGF	26/09/2013	14.21	34	21/11/2013	56	41	9.50	1516382
<b>कुल</b>			<b>76.27</b>						<b>7186850.6</b>

**परिशिष्ट-2.1.3**

(संदर्भ: कंडिका-2.1.3.3; पृष्ठ 21)

**राज्य द्वारा जिलों को 13वें वि.आ. अनुदान की विमुक्ति में देरी के कारण ब्याज की कम विमुक्ति का विवरण**

पत्रांक	केंद्र द्वारा अनुदान विमुक्ति की तिथि	अनुदान की राशि (₹ करोड़ में)	राज्य सरकार द्वारा अनुदान विमुक्ति की तिथि	अनुदान की राशि (₹ करोड़ में)	कितने दिनों के बाद अनुदान विमुक्त किया गया	अनुदान विमुक्ति में विलंब	ब्याज की दर	ब्याज की राशि (₹ में)
F 12(3)/FCD/2010	15/07/2010	17.50	03/02/2011	17.50	203	198	6	5695890.41
F 12(3)/FCD/2010	15/12/2011	88.40	24/01/2012	88.40	40	35	6	5086027.40
F 12(3)/FCD/2010	15/03/2012	0	22/05/2012	0.94	68	63	9.50	154544.18
F 12(3)/FCD/2010	08/03/2013	0	04/04/2013	10.59	27	22	8.75	558830.14
F 12(3)/FCD/2010	13/03/2013	0	04/04/2013	15.29	22	17	8.75	623364.38
F 12(3)/FCD/2010	03/05/2012	17.50	03/09/2012	17.50	123	118	8.25	4667465.75
F 12(3)/FCD/2010	21/02/2014	0	09/04/2014	15.73	47	42	9	1629397.48
F 12(3)/FCD/2010	31/05/2013	17.50	08/07/2013	17.50	38	33	8.25	1305308.22
F 12(3)/FCD/2010	31/03/2015	16.63	12/10/2015	13.00	195	190	8.50	5752054.79
F 12(3)/FCD/2010	31/03/2015	75.22	12/10/2015	75.22	195	190	8.50	33282273.97
							<b>कुल</b>	<b>58755156.72</b>
<b>घटाव-राज्य द्वारा विमुक्त ब्याज</b>								<b>27290522.00</b>
<b>कम विमुक्ति</b>								<b>31464634.77</b>

## परिशिष्ट-2.1.4

(संदर्भ: कंडिका-2.1.3.4; पृष्ठ 22)

कार्यकारी एजेंसियों द्वारा ब्याज की वापसी न करने को दर्शाने वाला

31 मार्च 2016 का विवरण

(₹ लाख में)

कार्यकारी एजेंसियों के नाम	ब्याज की राशि	अवधि
जिला अभियंता, देवघर	54.68	2011-15
जिला अभियंता, गढ़वा	4.99	2011-16
जिला अभियंता, गोड्डा	74.41	2011-16
जिला अभियंता, पलामू	33.28	2011-16
जिला अभियंता, राँची	314.18	2011-16
एन.आर.इ.पी., पलामू	39.55	3/10 से 3/16
देवघर प्रखंड	1.22	2012-15
मोहनपुर प्रखंड	1.81	2013-15
सारठ प्रखंड	1.24	2013-15
पालोजोरी प्रखंड	1.68	2012-14
सारवां प्रखंड	4.12	2012-15
आर.डी.एस.डी., देवघर	1.84	2012-15
एन.आर.इ.पी., देवघर	2.74	2014-15
एम.आई., देवघर	0.19	2014-15
एन.आर.इ.पी., गढ़वा	2.69	2007-16
गढ़वा जिला के दस ग्रा.पं.	3.31	2014-15
मंझियांव नगर परिषद	0.26	2014-15
एम.आई., गढ़वा	0.98	2011-13
आर.डी.एस.डी., गढ़वा	5.49	2011-13
बी.डी.ओ., गढ़वा	0.07	2012-13
बी.डी.ओ., रंका	0.84	2014-15
बी.डी.ओ., डंडई	0.08	2011-15
बी.डी.ओ., कांडी	0.14	2011-12
<b>कुल</b>	<b>549.79</b>	

**परिशिष्ट-2.1.5**

(संदर्भ: कंडिका-2.1.3.5; पृष्ठ 22)

**31 मार्च 2016 को बकाया अग्रिम दर्शाने वाली विवरणी**

क्र.सं.	इकाईयों के नाम	कर्मचारियों के नाम	बकाया अग्रिम (₹ लाख में)	अग्रिम की अवधि
1	जि.प., देवघर	दिलीप कुमार सिंह, क.अ.	7.00	02/09 से 4/09
2	जि.प., धनबाद	खालिद परवेज, स.अ.	33.20	2014-16
3	जि.प., धनबाद	जतरो उरांव, क. अ.	21.70	2014-16
4	जि.प., धनबाद	बी. एन. दास, स.अ.	5.85	2014-16
5	जि.प., धनबाद	एन. के. सिंह, स.अ.	0.50	2014-16
6	जि.प., गढ़वा	बी. के. तिवारी, क.अ.	2.00	3/1/05
7	जि.प., गढ़वा	जनेश्वर राम, क.अ.	0.40	13/05/05
8	जि.प., गढ़वा	जनेश्वर राम, क.अ.	2.00	13/05/05
9	जि.प., गढ़वा	जनेश्वर राम, क.अ.	1.00	21/01/03
10	जि.प., गढ़वा	जनेश्वर राम, क.अ.	3.05	अनुपलब्ध
11	जि.प., गढ़वा	जनेश्वर राम, क.अ.	1.80	अनुपलब्ध
12	जि.प., गढ़वा	श्री नागेन्द्र, क.अ.	0.65	अनुपलब्ध
13	जि.प., गढ़वा	दिनेश्वर तिवारी, क.अ.	0.27	अनुपलब्ध
14	जि.प., गढ़वा	अली अंसारी, पंचायत सेवक	0.76	अनुपलब्ध
15	जि.प., गढ़वा	अवधेश मिश्रा, पंचायत सेवक	0.45	अनुपलब्ध
16	जि.प., गढ़वा	नागेन्द्र प्रसाद, पंचायत सेवक	0.30	अनुपलब्ध
17	जि.प., गढ़वा	जय राम पासवान, पंचायत सेवक	1.11	अनुपलब्ध
18	जि.प., गढ़वा	सुनील कुमार, पंचायत सेवक	0.03	अनुपलब्ध
19	जि.प., गढ़वा	कामेश्वर मिस्त्री, अमीन	0.37	अनुपलब्ध
20	जि.प., गढ़वा	राधा प्रसाद, प्रधान लिपिक	0.20	अनुपलब्ध
21	जि.प., गढ़वा	बी. एन. तिवारी, क.अ.	11.70	अनुपलब्ध
22	जि.प., गढ़वा	गोपाल पाठक, स.अ. (नगद राशि)	0.06	अनुपलब्ध
23	जि.प., गोड्डा	चन्द्र देव मोदी, क.अ.	12.82	2013-15
24	जि.प., गोड्डा	मानिक कुमार, स.अ.	15.32	2013-15
25	जि.प., गोड्डा	मनोज कुमार मुन्ना, क.अ.	8.24	2013-15
26	जि.प., पलामू	गोपाल पाठक, स.अ.	6.87	1/10/94
27	जि.प., पलामू	दिनेश्वर द्विवेदी, क.अ.	18.29	30/10/95
28	जि.प., पलामू	उपेन्द्र कुमार सिंह, क.अ.	0.20	14/04/04
29	जि.प., पलामू	ओम प्रकाश शर्मा, क.अ.	16.00	2/2005 से 2/2008
30	जि.प., पलामू	तारकेश्वर सिंह, क.अ.	11.52	10/2009 से 11/2009
31	जि.प., पलामू	रविन्द्र प्रसाद, क.अ.	0.25	16/10/06
32	जि.प., पलामू	सुरेन्द्र प्रसाद, क.अ.	0.20	16/10/06
33	जि.प., पलामू	लक्ष्मण राम, क.अ.	11.59	1/01/2006
34	जि.प., पलामू	लाभुक समिति	18.90	09/2004 से 01/2006
35	जि.प., राँची	बसंत कुमार लाभ, स.अ.	398.32	2011-16
36	जि.प., राँची	ललित प्रसाद श्रीवास्तव, स.अ.	41.53	2013-14
37	जि.प., राँची	सुनील सिंह, स.अ.	140.42	2011-16

क्र.सं.	इकाईयों के नाम	कर्मचारियों के नाम	बकाया अग्रिम (₹ लाख में)	अग्रिम की अवधि
38	जि.प., राँची	प्रदीप कुमार भगत, स.अ.	342.91	2011-16
39	जि.प., राँची	एच. के. सिंह, स.अ.	153.37	2011-16
40	जि.प., राँची	देव बिहारी यादव, स.अ.	126.06	2011-16
41	जि.प., राँची	जयप्रकाश गुप्ता, क.अ.	8.53	2014-15
42	पं.स., चान्हो	16 लाभुक समितियाँ	6.22	2014-15
43	पं.स., नगड़ी	राजेश कुमार पाण्डेय, रोजगार सेवक	5.60	9/14 से 1/15
44	पं.स., नगड़ी	जगदीश तिकी, रोजगार सेवक	6.45	9/14 से 1/15
45	पं.स., नगड़ी	संजय तिकी, रोजगार सेवक	8.90	9/14 से 1/15
46	पं.स., नगड़ी	सीताराम दास, पंचायत सेवक	6.05	9/14 से 1/15
47	पं.स., रातू	39 लाभुक समितियाँ	40.42	अनुपलब्ध
48	पं.स., राहे	भुवन दास, क.अ.	11.53	2/15 से 3/16
49	पं.स., खलारी	05 लाभुक समिति	1.75	अनुपलब्ध
50	ग्रा.पं., सताकी	01 लाभुक समिति	1.30	अनुपलब्ध
51	ग्रा.पं., किशुनपुर	01 लाभुक समिति	0.15	अनुपलब्ध
<b>कुल</b>			<b>1514.11</b>	

**परिशिष्ट-2.1.6**

(संदर्भ: कंडिका-2.1.3.6; पृष्ठ 23)

**बिना ब्याज वाले खातों में निधि रखने और ब्याज की हानि दर्शाने वाला 31 मार्च 2016 का विवरण**

(रु लाख में)					
ईकाई	योजना	निधि	विवरण	अवधि	ब्याज की हानि
जि.प., राँची	बी.आर.जी.एफ.	1133.25	वैयक्तिक खाता	152 दिन	18.89
जि.प., पलामू	बी.आर.जी.एफ.	3962.00	वैयक्तिक खाता	12 से 562 दिन	83.46
जि.प., देवघर	बी.आर.जी.एफ.	1229.00	वैयक्तिक खाता	-	00
जि.प., देवघर	13वां वि.आ.	1434.00	वैयक्तिक खाता	20 से 152 दिन	10.90
जि.प., गढ़वा	बी.आर.जी.एफ.	342.00	वैयक्तिक खाता	-	00
जि.प., गढ़वा	13वां वि.आ.	1449.00	वैयक्तिक खाता	8 से 65 दिन	5.68
पं.स., खलारी	13वां वि.आ.	271.24	चालू खाता	-	0
जि.प., धनबाद	बी.आर.जी.एफ.	1598.14	वैयक्तिक खाता	-	0
जि.प., धनबाद	13वां वि.आ.	3744.16	वैयक्तिक खाता	-	0
जि.प., गोड्डा	13वां वि.आ.	161.55	वैयक्तिक खाता	-	0
	<b>कुल</b>	<b>15324.34</b>			<b>118.93</b>



## परिशिष्ट -2.1.7

(संदर्भ: कंडिका- 2.1.3.7; पृष्ठ 23)

## जिला परिषद द्वारा 31 मार्च 2016 तक निधि का अनियमित पार्किंग

(₹ लाख में)

जि.प., का नाम	विवरण	राशि	उद्देश्य
जि.प., धनबाद	पी.एल.	44.37	पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही प्रोत्साहन (पी.ई.ए.आई.एस.)
जि.प., पलामू	बैंक खाता	16.24	पंचायत भवन
जि.प., राँची	बैंक खाता	75.29	आय में वृद्धि
जि.प., गोड्डा	पी.एल.	577.24	पंचायत भवनों का निर्माण, शीतगृह, दुकान आदि
जि.प., गढ़वा	बैंक खाता	266.08	13 वां वि.आ.
<b>कुल</b>		<b>979.22</b>	

**परिशिष्ट- 2.1.8**

(संदर्भ: कंडिका -2.1.3.9; पृष्ठ 24)

**अध्यक्ष / प्रधान के अनुमोदन के बिना किए गए व्यय का विवरण**

(राशि ₹ में)

क्रमांक	इकाई का नाम	2011-16 के दौरान किया गया भुगतान
1	जि.प., देवघर	1203113659
2	जि.प., धनबाद	1711707000
3	जि.प., गढ़वा	811735666
4	जि.प., गोड्डा	580595411
5	जि.प., राँची	1912022657
6	जि.प., पलामू	1471260750
7	पं.स., देवघर	11433231
8	पं.स., मारगोमुंडा	6844074
9	पं.स., मोहनपुर	14486468
10	पं.स., बलियापुर	10023200
11	पं.स., तोपचाँची	14110600
12	पं.स., गढ़वा	11499610
13	पं.स., भवनाथपुर	5909780
14	पं.स., केतर	3620855
15	पं.स., सगमा	2674328
16	पं.स., डंडई	4958830
17	पं.स., गोड्डा	18889259
18	पं.स., पोड़ैयाहाट	16457317
19	पं.स., नगड़ी	34763613
20	पं.स., चान्हो	38303613
21	पं.स., खलारी	35270371
22	पं.स., रातू	6001331
23	पं.स., राहे	23824123
24	पं.स., पांकी	13890278
25	पं.स., पाटन	5559858
26	पं.स., नावाबाजार	4249110
27	पं.स., चैनपुर	18161813
28	पं.स., लेस्लीगंज	7377349
<b>कुल</b>		<b>7998744154</b>

## परिशिष्ट - 3.1

(संदर्भ: कंडिका-3.3.2; पृष्ठ 46)

74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (बारहवीं अनुसूची) के अनुसार श.स्था.नि. द्वारा निष्पादित की जाने वाली शक्तियों एवं कार्यों की सूची को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	कार्य
1	शहरी योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी शामिल है
2	भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण
3	आर्थिक और सामाजिक विकास योजना
4	सड़कें और पुल
5	घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जलापूर्ति
6	लोक स्वास्थ्य, सवच्छता, संरक्षण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
7	अग्निशमन सेवायें
8	शहरी वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और परिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि
9	समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मन्द व्यक्ति भी है के हितों की रक्षा
10	गंदी-बस्ती सुधार और प्रोन्नयन
11	शहरी निर्धनता उन्मूलन
12	शहरी सुख-सुविधाओं और सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदान की व्यवस्था
13	सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा सौन्दर्य परक आयामों में अभिवृद्धि
14	शव दफनाना और कब्रिस्तान, शवदाह, श्मशान तथा विद्युत चालित शवदाह गृह
15	कांजीहाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण
16	महत्वपूर्ण सांख्यिकी, जिनके अंतर्गत जन्म और मृत्यु निबंधन भी है
17	सार्वजनिक सुविधाओं जिनके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस पड़ाव जन सुविधायें हैं
18	वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन

74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (बारहवीं अनुसूची) के अनुसार नमूना जाँचित श.स्था.नि. द्वारा निष्पादित कार्यों की सूची को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	श.स्था.नि. के नाम	निष्पादित किये जा रहे कार्य	कुल निष्पादित किये जा रहे कार्य
1	आदित्यपुर नगर परिषद	1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,16,17	14
2	चाईबासा नगर परिषद	1,4,5,6,11,12,16,17	8
3	चास नगर निगम	1,2,4,5,6,9,10,11,12,14,16,17	12
4	चतरा नगर परिषद	1,4,5,6,11,12,16,17	8
5	चिरकुंडा नगर पंचायत	सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी	-
6	देवघर नगर निगम	1,3,4,5,6,10,11,12,13,16,17	11
7	दुमका नगर परिषद	1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17	15
8	गढ़वा नगर पंचायत	1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18	17
9	गोड्डा नगर पंचायत	1,2,3,4,5,6,10,12,13,14,15,16,17,18	14
10	गिरीडीह नगर पंचायत	सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी	-
11	गुमला नगर परिषद	1,2,3,4,5,6,10,11,12,13,14,16,17	13
12	जमशेदपुर अ.क्षे.स.	सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी	-
13	झुमरीतिलैया नगर परिषद	सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी	0
14	जुगसलाई नगरपालिका	1,2,3,4,5,6,10,11,12,16,17	11
15	मधुपुर नगर परिषद	1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18	17
16	मानगो अ.क्षे.स.	सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी	-
17	मेदिनीनगर नगर परिषद	1,4,5,6,11,12,16,17	8
18	पाकुड़ नगर पंचायत	1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,15,16,17,18	15
19	साहेबगंज नगर निगम	1,3,4,5,6,10,11,12,13,16,17	11
20	सिमडेगा नगर परिषद	1,2,4,5,6,10,11,12,13,14,16,17,18	13

(स्रोत: नमूना जाँचित श.स्था.नि. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

### परिशिष्ट - 3.2

(संदर्भ: कंडिका-3.3.3.1; पृष्ठ 46)

नमूना जाँचित श.स्था.नि. के द्वारा बेसिक सर्विसेज टू अर्बन पुअर फंड नामक पृथक निधि तथा पृथक पी-बजट के सृजन को दर्शाती विवरणी (31 मार्च 2016)

क्र. सं.	श.स्था.नि. के नाम	क्या अर्बन पुअर फंड बनाया गया	क्या पी-बजट तैयार किया गया
1	आदित्यपुर नगर परिषद	-	नहीं
2	चाईबासा नगर परिषद	नहीं	नहीं
3	चास नगर निगम	हाँ	हाँ
4	चतरा नगर परिषद	नहीं	नहीं
5	चिरकुंडा नगर पंचायत	नहीं	नहीं
6	देवघर नगर निगम	-	-
7	दुमका नगर परिषद	नहीं	नहीं
8	गढ़वा नगर पंचायत	नहीं	नहीं
9	गोड्डा नगर पंचायत	नहीं	नहीं
10	गिरीडीह नगर परिषद	हाँ	नहीं
11	गुमला नगर परिषद	नहीं	नहीं
12	जमशेदपुर अ.क्ष.स.	हाँ	नहीं
13	झूमरीतिलैया नगर परिषद	-	-
14	जुगसलाई नगरपालिका	हाँ	नहीं
15	मधुपुर नगर परिषद	नहीं	नहीं
16	मानगो अ.क्ष.स.	हाँ	नहीं
17	मेदिनीनगर नगर परिषद	नहीं	नहीं
18	पाकुड़ नगर पंचायत	नहीं	नहीं
19	साहेबगंज नगर निगम	नहीं	नहीं
20	सिमडेगा नगर परिषद	नहीं	नहीं

(स्रोत: नमूना जाँचित श.स्था.नि. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

## परिशिष्ट - 3.3

(संदर्भ: कंडिका-3.3.4 पृष्ठ 47)

श.स्था.नि. के कार्यरत बल एवं स्वीकृत बल को दर्शाने वाली विवरणी  
(31 मार्च 2016)

क्र. सं.	श.स्था.नि. के नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्तियाँ
1.	आदित्यपुर नगर परिषद	48	10	38
2.	चाईबासा नगर परिषद	139	43	96
3.	चास नगर निगम	29	2	27
4.	चतरा नगर परिषद	90	21	69
5.	चिरकुंडा नगर पंचायत	12	1	11
6.	देवघर नगर निगम	337	131	206
7.	दुमका नगर परिषद	224	35	189
8.	गढ़वा नगर पंचायत	44	15	29
9.	गोड्डा नगर पंचायत	21	21	0
10.	गिरीडीह नगर परिषद	310	77	233
11.	गुमला नगर परिषद	36	10	26
12.	जमशेदपुर अ.क्षे.स.	55	7	48
13.	झुमरीतिलैया नगर परिषद	82	27	55
14.	जुगसलाई नगरपालिका	143	34	109
15.	मधुपुर नगर परिषद	156	68	88
16.	मानगो अ.क्षे.स.	55	7	48
17.	मेदिनीनगर नगर परिषद	195	76	119
18.	पाकुड़ नगर पंचायत	26	18	8
19.	साहेबगंज नगर निगम	210	61	149
20.	सिमडेगा नगर परिषद	सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी		
<b>कुल</b>		<b>2212</b>	<b>664</b>	<b>1548</b>

(स्रोत: नमूना जाँचित श.स्था.नि. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

**परिशिष्ट - 3.4**

(संदर्भ: कंडिका-3.4 पृष्ठ 48)

**श.स्था.नि. की समितियों के कार्यों को दर्शाती विवरणी**

समिति का नाम	गठन	सदस्य	कार्य	कर्तव्य
वार्ड समिति (डब्ल्यू.सी.) ज्ञा.न.अधिनियम, 2011 की धारा 34	परिषद के निर्वाचन के दो महीने के भीतर नगरपालिका के प्रत्येक वार्ड के लिये एक वार्ड समिति गठित की जायेगी। वार्ड समिति की समयावधि परिषद की समयावधि की सह- विस्तारी होगी।	(क) नगरपालिका का पार्षद जो वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहा हो वार्ड समिति का अध्यक्ष होगा। (ख) वार्ड में स्थित क्षेत्रों के क्षेत्र सभा के प्रतिनिधि (ग) वार्ड से सिविल सोसायटी का प्रतिनिधित्व करने वाले दस से अनधिक परिषद द्वारा विहित रीति से नामित व्यक्ति	वार्ड समिति वार्ड में निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगी:- (i) पर्यवेक्षण (क) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सफाई कार्य, जलापूर्ति का वितरण एवं पाकों की देखभाल, क्रीडांगन और बाजार स्थल, स्ट्रीट लाईट का कार्य, सड़कों की मरम्मत, गरीबी उन्मूलन योजना और विकास योजना को लागू करना (ii) नगरपालिका के नियंत्रण वाले विद्यालयों, औषधालय, स्वास्थ्य केंद्रों के कार्यों का अनुश्रवण इत्यादि (iii) विकास योजनाओं को तैयार करने में सहायता (iv) जनता के विभिन्न समूहों के बीच सौहार्द एवं एकता को बढ़ावा देना (v) कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और धन या वस्तुओं के रूप में दान संग्रहित करना (vi) कल्याण एवं विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में लाभुकों को चिन्हित करने में सहायता करना (vii) कला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा क्रीडा एवं खेलों को बढ़ावा देना (viii) नगरपालिका के विकास परक गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक स्वैच्छिक गतिविधियों में जन सहभागिता को सुनिश्चित - करना (ix) नगरपालिका को देय कर, शुल्क एवं अन्य धनराशि के संग्रहण को सुगम बनाना (x) नगरपालिका अपने अनुरक्षण उपबंध के अंतर्गत उद्दिष्ट बजट से बीस प्रतिशत धनराशि वार्ड समितियों को जलापूर्ति, नालियों, मार्ग प्रकाश, स्वच्छता, उद्यानों तथा बाजारों को धन आवंटित करेगी (xi) नागरिक सुविधाओं के अनुरक्षण हेतु वार्ड समितियों को धनराशि के आवंटन तथा उपयोग सरकार द्वारा विहित रीति से किया जायेगा (xii) ऐसे अन्य कार्य जैसा कि विहित किया जाए।	वार्ड समितियों की बैठकों में कार्यप्रणाली के संचालन का तरीका ऐसा होगा जैसा कि विहित किया जाए।

समिति का नाम	गठन	सदस्य	कार्य	कर्तव्य
<b>विषय समिति -</b> झा.न.अधिनियम, 2011 की धारा 46	एक नगर निगम या ए श्रेणी के नगर परिषद निर्वाचित पार्षदों को शामिल कर विषय समिति का गठन कर सकते हैं	ए श्रेणी के नगर परिषद के लिए 5 सदस्य एवं नगर निगम के लिए 7 सदस्य	जलापूर्ति, नाली एवं जल-मल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी पर्यावरण प्रबंधन एवं भूमि उपयोग नियंत्रण गरीबी एवं मलिन बस्ती संबंधी सेवायें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला एवं बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण। सिफारिशों को स्थायी समिति को विचार करने के लिए उपस्थापित किया जाएगा।	प्रत्येक विषय समिति विनियमों में विनिर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करेगी।
<b>तदर्थ समिति</b> झा.न.अधिनियम, 2011 की धारा 47	नगर निगम या नगर परिषद की स्थायी समिति एक तदर्थ समिति नियुक्त कर सकती है।		ऐसे कार्यों का निष्पादन या ऐसी जाँच या ऐसा अध्ययन जिसमें उस पर प्रतिवेदन देना शामिल हो जैसा कि इस पक्ष में पारित संकल्प में विनिर्दिष्ट किया जाए।	एक तदर्थ समिति में कार्यों के संचालन की कार्यप्रणाली ऐसी होगी जैसा कि स्थायी समिति द्वारा निर्धारित की जाए।
<b>संयुक्त समिति (जे.सी.)</b> झा.न.अधिनियम, 2011 की धारा 48	राज्य सरकार एक से ज्यादा नगरपालिकाओं, या एक या एक से ज्यादा नगरपालिकाओं सहित के साथ अन्य स्थानीय प्राधिकार या स्थानीय प्राधिकारों का ऐसे किसी उद्देश्य के लिए जिसमें वे संयुक्त रुचि रखते हों ऐसी कोई शक्ति या कार्य सौंप सकती है जिसमें संयुक्त कार्यवाही आवश्यक हो, संयुक्त समिति का गठन कर सकती है।	(क) प्रत्येक संघटक नगरपालिका एवं स्थानीय प्राधिकार से दो निर्वाचित सदस्य (ख) राज्य सरकार के प्रत्येक संबंधित विभाग का एक नामित या राज्य सरकार के अधीन संबंधित सांविधिक प्राधिकार से प्रत्येक से एक नामित सदस्य। (ग) ऐसे विशेषज्ञ या विशेषज्ञों जिसे कि राज्य सरकार नामित करे, और, (घ) नगरपालिका प्रशासन के निदेशक या उसका प्रतिनिधि जो कि संयुक्त समिति के संयोजक का कार्य करेगा।	संयुक्त समिति की कार्यावधि तथा कार्य संपादन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा कि विहित किया जाए।	

समिति का नाम	गठन	सदस्य	कार्य	कर्तव्य
<b>क्षेत्रीय समिति (जे.डी.सी.)</b> ज्ञान.अधिनियम, 2011 की धारा 49	सरकार अधिसूचना के द्वारा नगर निगम के अधीन उतने ही वार्डों के क्षेत्रों को शामिल कर ऐसी संख्या में क्षेत्रीय समिति का गठन करेगी जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो और प्रत्येक क्षेत्रीय समिति में 5 से अन्यून आपस में सटे वार्ड शामिल होंगे। क्षेत्रीय समिति की शक्तियाँ एवं कार्य वही होंगी जैसा सरकार द्वारा अधिसूचित हो।	क्षेत्रीय समिति में क्षेत्रीय समिति में शामिल वार्डों से समस्त निर्वाचित पार्षद शामिल होंगे, और उनमें से एक सदस्य ऐसे ढंग से जैसा कि विहित हो क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष चुना जाएगा, नगर आयुक्त एक अधिकारी को नामित करेगा जो क्षेत्रीय समिति जिसकी तीन माह में एक बार या जैसी आवश्यकता हो अपने कार्यों के निष्पादन के लिए बैठक करेगी, के संयोजक का कार्य करेगा।	नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी जो उपरोक्त कार्यों के निर्वहन के लिए जिन्हें इस क्षेत्र को सौंपा गया हो, जो क्षेत्रीय समिति द्वारा इस निमित्त निर्गत किए गए निर्देशों का पालन करेगा।	क्षेत्रीय समिति जो मेयर के सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन, अपने क्षेत्र की स्थानीय सीमा के अंदर नगर निगम के कार्यों जैसे की जलापूर्ति, नाली एवं जलमल निकासी, जल निकासी, वर्षा एवं अन्य कारणों से गलियों या सार्वजनिक जगहों पर जमा पानी की निकासी, ठोस अपशिष्टों को एकत्र करना और हटाना, विसंक्रमण, स्वास्थ्य, प्रतिरक्षण सेवाओं का प्रावधान, बस सेवाएँ, प्रकाश का प्रावधान, छोटी सड़कों की मरम्मत, उद्यानों, नालियों एवं गलियों का अनुरक्षण और दूसरे अन्य कार्यों जैसा नगर निगम द्वारा समय समय पर विनियम द्वारा नियत करे, का पालन करेंगे।
<b>नगरपालिका लेखा समिति (न.ले.स.)</b> ज्ञान.अधिनियम, 2011 की धारा 124	नगर निगम और नगर परिषद प्रत्येक वर्ष अपनी पहली बैठक में या उसके पश्चात या यथासंभव शीघ्र किसी बैठक में एक नगरपालिका लेखा समिति का गठन करेगी।	न.ले.स. में कम से कम तीन और 15 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे, जैसा कि राज्य सरकार के अधिसूचना द्वारा नगरपालिका के लिए निर्धारित करे, परिषद द्वारा निर्वाचित पार्षदों जो स्थायी समिति के सदस्य नहीं हों से नामित किए जाएँगे और उतने व्यक्ति जो पार्षद, अधिकारी या नगरपालिका के अन्य कर्मचारी न हों जिन्हें वित्तीय मामलों का ज्ञान एवं अनुभव हो और जिनकी संख्या दो से ज्यादा नहीं हो नगरपालिका द्वारा नाम- निर्दिष्ट किए जाएँगे और इन्हें न.ले.स. की बैठक में मत देने का कोई अधिकार नहीं होगा। नगरपालिका लेखा समिति के सदस्य अपने सदस्यों में से एक को इसका अध्यक्ष चुनेंगे।	न.ले.स. कोई भी किताब या दस्तावेज की माँग कर सकती है जो उसके विचार से उसके कार्यों के लिये आवश्यक हो, और नगरपालिका के ऐसे अधिकारियों को बुला सकती है जो उसके कार्य से संबंधित मामले पर स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक हों।	नगरपालिका के लेखाओं की जाँच करना; लेखा परीक्षकों द्वारा नगरपालिका लेखाओं पर प्रस्तुत प्रतिवेदन का परीक्षण एवं जाँच करना और स्वयं को इस बात पर संतुष्ट करना कि लेखा में संवितरित दिखाई गयी राशि जिन सेवाओं तथा प्रयोजनों के लिए उपलब्ध करायी गयी थी उसके अनुरूप उसका व्यय किया गया था तथा ऐसा व्यय इसे शासित करने वाले प्राधिकार के अनुरूप था; ऐसे निरीक्षण एवं जाँच पर प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष तथा समय समय पर स्थायी समिति को देना; और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर विचार करना, राज्य सरकार या नगरपालिका यदि आवश्यक समझे तो नगरपालिका की आय एवं व्यय पर विशेष अंकेक्षण करायेगी या नगरपालिका के भण्डार एवं स्टॉक की लेखाओं की जाँच करेगी या नगरपालिका के संपत्तियों की इंडेटी जिसमें भूमि तथा भवन सम्मिलित हैं की जाँच करना; और ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना जो विहित किया जाए; न.ले.स. अपने कार्यों का निर्वहन इस प्रकार करेगी जैसा कि विनियमन द्वारा निर्धारित किया जाए।



समिति का नाम	गठन	सदस्य	कार्य	
<b>झारखण्ड राज्य नगरपालिका सलाहकार समिति</b> झा.न.अधिनियम, 2011 की धारा 269	राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उस तिथि से जैसा की उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो झारखण्ड राज्य नगरपालिका सलाहकार समिति (झा.रा.न.स.स.) के नाम से एक समिति का गठन कर सकेगी। उन सदस्यों में से एक सदस्य झा.रा.न.स.स. का अध्यक्ष होगा तथा राज्य सरकार द्वारा उसे अधिसूचित भी किया जायेगा।	झा.रा.न.स.स. में 21 से अधिक सदस्य नहीं होंगे जो वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, श्रम, नागरिक सेवाओं के उपभोक्ता, नगरपालिकाओं, गैर-सरकारी संगठनों और अकादमिक तथा शोध निकायों के नगरीय मामलों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हों से मिलकर बनेंगे।	झा.रा.न.स.स. का कार्य तथा उद्देश्य राज्य नियामक आयोग को इन सलाह को देने का है:- (क) नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों; (ख) नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता, सततता और विस्तार संबंधी प्रकरणों; (ग) नगरपालिका सेवाओं के उपभोक्ताओं का संरक्षण; और (घ) नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा नगरपालिका सेवाएं प्रदान करने में निष्पादन दक्षता एवं मितव्ययिता स्तर में सुधार।	
<b>नगरपालिका मार्ग तकनीकी समिति</b> (न.मा.त.स.) झा.न.अधिनियम, 2011 की धारा 405	नगरपालिका एक नगरपालिका मार्ग तकनीकी समिति का गठन करेगी जो महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी। नगर आयुक्त या कार्यपालक अधिकारी इस समिति के संयोजक होंगे।	नगरनिगम के लिए सात पार्षद, परिषद द्वारा चुने जाएंगे नगर परिषद (श्रेणी ए) के लिए 5 पार्षद, परिषद द्वारा चुने जाएंगे और नगर परिषद (श्रेणी ब) या नगर पंचायत के लिए 3 पार्षद संबंधित परिषद द्वारा चुने जाएंगे उपर्युक्त सदस्यों के अतिरिक्त न.प.त.स. में 5 अन्य सदस्य भी होंगे जैसे कि नगरपालिका आयुक्त या कार्यपालक अधिकारी, नगर पालिका अभियंता, एक पुलिस अधिकारी जो कि संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित होंगे, और 2 अधिकारी जो नगरपालिका क्षेत्र के विकास योजना का निर्माण एवं अग्निशमन के लिए उत्तरदायी होंगे जो कि राज्य सरकार द्वारा नामित किये जाएंगे।	न.प.त.स. पैदल यात्री, सार्वजनिक सड़कों से बाहर, उपयुक्त एवं पर्याप्त पार्किंग सुविधा सहित वाहनों के शीघ्र, सुविधाजनक एवं सुरक्षित परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखेगा। (क) परिसरों तक व्यक्तिगत प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए अनुरक्षित करने का वांछनीयता (ख) किसी प्रभावित क्षेत्र की सुविधाओं पर पड़ने वाले प्रभाव, तथा (ग) नगरपालिका द्वारा इसे निर्दिष्ट किए गए अन्य सुसंगत मामले (घ) नगरपालिका को सार्वजनिक गलियों का वर्गीकरण और उनकी चौड़ाई का विशेषीकरण, गली की नियमित सीमा रेखा का निर्धारण, सड़क के साथ लगी भूमि को विनियमित करना, यातायात व्यवस्था को नियमित करना, गली के पास पार्किंग क्षेत्र को चिन्हित करना, भूगर्भ उपयोग के लिए रास्ता के अधिकार का निर्धारण, मार्ग उपस्कर की व्यवस्था, गलियों के किनारे प्राधिकृत उपस्कर लगाना इत्यादि के मामलों में सलाह तथा सहयोग।	न.प.त.स. नगरपालिका या किसी योजना अथवा योजना या विकास प्राधिकार या राज्य सरकार का कोई अन्य विभाग या तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य विधि के अधीन, किसी अन्य प्राधिकार से, कोई भी अभिलेख, कागजात, नक्शा या आँकड़े मांग सकता है तदुपरान्त ऐसे विभाग अथवा प्राधिकार का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी आग्रह का अनुपालन करे, न.प.त.स. के सिफारिशों पर नगरपालिका विचार करेगी तथा संदर्भित योजनाओं, प्रस्तावों, सर्वेक्षणों, अध्ययनों और सहायक तकनीकी आँकड़ों को ध्यान रखकर निर्णय लेगी जैसा वह उचित समझे, यदि कोई संदेह उत्पन्न हो कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी सक्षम प्राधिकार के किसी योजना, स्कीम या कार्यक्रम के साथ लिए गए निर्णय में कोई विरोध हो तो प्रकरण को राज्य को प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

### परिशिष्ट - 3.5

(संदर्भ: कंडिका- 3.14.5; पृष्ठ 55)

#### श.स्था.नि. में धृतिकर के निर्धारण की बकाया अवधि को दर्शाने वाली विवरणी (31 मार्च 2016 तक)

क्र.सं.	श.स्था.नि. के नाम	कर निर्धारण का वर्ष	पुनर्निधारित करने की अवधि (मार्च 2016 तक)
1	आदित्यपुर नगर परिषद	1993	23
2	चाईबासा नगर परिषद	1982-83	33
3	चास नगर निगम	1995	21
4	चतरा नगर परिषद	1981-82	34
5	चिरकुंडा नगर पंचायत	उपलब्ध नहीं	-
6	देवघर नगर निगम	1998-99	17
7	दुमका नगर परिषद	1992-93	23
8	गढ़वा नगर पंचायत	1997	19
9	गोड्डा नगर पंचायत	1979-80	36
10	गिरीडीह नगर परिषद	1996-97	19
11	गुमला नगर परिषद	2008	8
12	जमशेदपुर अ.क्षे.स.	कर नहीं लगाया गया	-
13	झूमरीतिलैया नगर परिषद	1996	20
14	जुगसलाई नगरपालिका	1997	19
15	मधुपुर नगर परिषद	2016	-
16	मानगो अ.क्षे.स.	1997	19
17	मेदिनीनगर नगर परिषद	2002-03	13
18	पाकुड़ नगर पंचायत	1972	44
19	साहेबगंज नगर निगम	1996-97	19
20	सिमडेगा नगर परिषद	1996	20

(स्रोत: नमूना जाँचित श.स्था.नि. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

## परिशिष्ट-4.1.1

(संदर्भ: कंडिका-4.1.6.3 एवं 4.1.6.5; पृष्ठ 64 और 65)

श.वि.मं., भारत सरकार द्वारा तय लक्ष्य के विरूद्ध नमूना जाँचित श.स्था.नि. के द्वारा सेवा स्तर मानदंड की उपलब्धि को दर्शाती विवरणी

सेवा	विवरण	मानक	चास	देवघर	धनबाद	गढ़वा	मधुपुर	मानगो	मेदिनीनगर	जमशेदपुर	राँची	साहेबगंज
जलापूर्ति	जलापूर्ति संयोजन का आच्छादन	100%	15%	20%	21.57 %	07 %	01%	45%	70 %	2.41%	70%	अनुपलब्ध
	प्रति व्यक्ति जलापूर्ति	135 एलपीसीडी	40 एलपीसीडी	100 एलपीसीडी	95 एलपीसीडी	40 एलपीसीडी	10 एलपीसीडी	110 एलपीसीडी	60 एलपीसीडी	135 एलपीसीडी	135 एलपीसीडी	अनुपलब्ध
	मीटर लगा हुआ जल संयोजन की सीमा	100%	15%	45%	11 %	0 %	0%	45%	0	45%	70%	अनुपलब्ध
	गैर राजस्व जल की सीमा	20%	70%	2%	45 %	05 %	33%	0	20 %	0.32%	70%	अनुपलब्ध
	जलापूर्ति की निरंतरता	24 घंटा	2-3 घंटा	2 घंटा	2 घंटा	बहुत कम एवं ग्रीष्म के 3 महीने में शून्य	प्रति सप्ताह 1 घंटा	2 घंटा	2 से 3 घंटा	12 घंटा	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	आपूर्ति किये गये जल की गुणवत्ता	100%	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	100 %	80 %	20%	अनुपलब्ध	80 %	100%	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	जलापूर्ति सेवा की लागत की वसूली	100%	10%	0	85 %	0	0	0	0	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	जलापूर्ति संबंधी शुल्क की वसूली में दक्षता	90%	अनुपलब्ध	0	85 %	0	0	16%	0	11%	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
मल जल प्रबंधन (मल जल एवं स्वच्छता)	शौचालयों का आच्छादन	100%	60%	23%	60 %	72 %	68 %	अनुपलब्ध	70 %	50%	अनुपलब्ध	70%
	मल जल निकास सेवाओं का आच्छादन	100%	0	4%	0	0	0	0	0	0	अनुपलब्ध	0
	मल जल निकास तंत्र की संग्रहण दक्षता	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	अनुपलब्ध	0
	मल जल शोधन की पर्याप्तता	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	अनुपलब्ध	0
	मल जल शोधन की गुणवत्ता	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	अनुपलब्ध	0
	मल जल के पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण की सीमा	20%	0	0	0	0	0	0	0	0	अनुपलब्ध	0
	ग्राहक शिकायतों के निवारण में दक्षता	80%	0	80%	80 %	80 %	80 %	0	80%	60 %	50%	अनुपलब्ध

सेवा	ब्यौरा	मानक	चास	देवघर	धनबाद	गढ़वा	मधुपुर	मानगो	मेदिनीनगर	जमशेदपुर	राँची	साहेबगंज
मल जल प्रबंधन	मल जल प्रबंधन में लागत वसूली की सीमा	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	अनुपलब्ध	0
(मल जल एवं स्वच्छता)	मल जल शुल्क के संग्रहण में दक्षता	90%	0	0	0	0	0	0	0	0	अनुपलब्ध	0
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के घरेलू स्तर पर आच्छादन	100%	0	0	25%	0	0	0	0	0	अनुपलब्ध	0
	नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट के संचयन की दक्षता	100%	70-75%	70%	60 %	100 %	100 %	80%	100%	80%	अनुपलब्ध	80%
	नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट को पृथक करने की सीमा	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	अनुपलब्ध	0
	नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट के उठाव की सीमा	80%	0	0	0	0	0	0	0	0	अनुपलब्ध	0
	नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण की सीमा	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	अनुपलब्ध	0
	ग्राहक शिकायतों के निवारण में दक्षता	80%	0	80%	80 %	80 %	60 %	80%	60 %	80%	अनुपलब्ध	0
	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में लागत वसूली की सीमा	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	अनुपलब्ध	0
	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क के संग्रहण में दक्षता	90%	0	0	0	0	0	0	0	0	अनुपलब्ध	0

## परिशिष्ट-4.1.2

(संदर्भ: कंडिका-4.1.7.2; पृष्ठ 68)

नमूना जाँचित श.स्था.नि. के द्वारा वर्ष 2012-16 के दौरान बी.एस.यू.पी. के लिए प्रदान की जाने वाली राशि को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

अवधि	नगरपालिकाओं का स्वयं का राजस्व जैसे कर, शुल्क, उपभोक्ता शुल्क तथा किराया इत्यादि										केंद्र एवं राज्य वित्त आयोग से प्राप्त आवंटन										कुल
	चास	देवघर	धनबाद	गढ़वा	जमशेदपुर	मधुपुर	मानगो	मेदिनीनगर	राँची	साहेबगंज	चास	देवघर	धनबाद	गढ़वा	जमशेदपुर	मधुपुर	मानगो	मेदिनीनगर	राँची	साहेबगंज	
2012-13	1.51	5.43	4.98	0.34	5.75	0.49	2.38	1.27	29.14	0.80	शून्य	0.99	0	0.81	शून्य	3.05	शून्य	0	6.03	11.28	74.25
2013-14	1.78	3.88	3.98	0.55	3.24	0.52	2.12	1.13	28.58	0.34	0.75	3.30	2.90	0.81	शून्य	1.30	शून्य	0	1.50	15.25	71.93
2014-15	2.03	3.99	4.50	0.49	4.07	0.36	2.73	0.95	35.57	1.00	3.91	13.20	15.30	1.20	शून्य	3.70	शून्य	2.50	48.41	2.66	146.29
2015-16	3.94	5.16	8.85	0.57	8.06	0.47	3.25	1.54	42.02	0.94	5.91	0.75	51.25	1.80	शून्य	2.21	शून्य	2.98	56.57	13.56	209.83
<b>कुल</b>	<b>9.26</b>	<b>18.46</b>	<b>22.31</b>	<b>1.95</b>	<b>21.12</b>	<b>1.84</b>	<b>10.48</b>	<b>4.89</b>	<b>135.31</b>	<b>3.08</b>	<b>10.57</b>	<b>18.24</b>	<b>69.45</b>	<b>4.62</b>	<b>शून्य</b>	<b>10.26</b>	<b>शून्य</b>	<b>5.48</b>	<b>112.51</b>	<b>42.75</b>	<b>502.58</b>
बेसिक सर्विसेज टू अर्बन पुअर फंड के लिए 25 प्रतिशत आवंटन	2.32	4.62	5.88	0.49	5.28	0.46	2.62	1.22	33.83	0.77	2.64	4.56	17.36	1.16	शून्य	2.57	शून्य	1.37	28.13	10.69	125.65

(स्रोत: नमूना जाँचित श.स्था.नि. द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े)

**परिशिष्ट-4.1.3**

(संदर्भ: कंडिका-4.1.8; पृष्ठ 69)

**नमूना जाँचित श.स्था.नि. में जलापूर्ति परियोजनाओं की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी**

(₹ करोड़ में)

श.नि.स्था. के नाम	अनुमोदित परियोजना लागत	संविदा प्रदान करने की तिथि	एकरारित राशि	व्यय (31/3/2016)	पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	31/08/16 को भौतिक स्थिति	संवेदक का नाम
चास	50.26	22/12/2008	50.02	47.08	21/06/2010	जून 2016 को पूर्ण	मेसर्स विश्वा इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद
देवघर	48.07	14/12/2007	48.07	44.36	13/12/2009	जनवरी 2016 को पूर्ण	मेसर्स आई.वी.आर.सी.एल. इंफ्रास्ट्रक्चर एवं प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, हैदराबाद
धनबाद	365.85	13/05/2011	298.00	321.58	20/10/2013	प्रगति पर	मेसर्स एल एंड टी लिमिटेड, चेन्नई
गढ़वा	37.86	13/02/2013	36.73	10.35	12/02/2015	प्रगति पर	मेसर्स एस.एम.एस. पर्यावरण लिमिटेड. नई दिल्ली
जमशेदपुर	28.67	03/01/2006	28.67	28.51	03/07/2007	दिसम्बर 2013 को पूर्ण	मेसर्स एस.एम.एस. पर्यावरण लिमिटेड. नई दिल्ली
मानगो	64.18	29/08/2009	64.18	64.18	28/08/2011	दिसम्बर 2013 को पूर्ण	मेसर्स जुस्को
मधुपुर	विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है						
मेदिनीनगर	61.46	11/03/2016	52.17	0	10/06/2018	प्रगति पर	मेसर्स एस.एम.एस. पर्यावरण लिमिटेड. नई दिल्ली
राँची	288.39	12/03/2010	234.71	106.63	12/09/2012	प्रगति पर (भौतिक तौर पर 42 प्रतिशत पूर्ण)	मेसर्स आई.वी.आर.सी.एल. इंफ्रास्ट्रक्चर एवं प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, हैदराबाद
	373.06	अक्टूबर 2014	290.44	115.31	23/10/2016		मेसर्स एल एंड टी लिमिटेड, चेन्नई
साहिबगंज	50.64	09/09/2011	37.99	29.60	08/03/2013	प्रगति पर (भौतिक तौर पर 77 प्रतिशत पूर्ण)	मेसर्स डुशियो वियोला वाटर सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात

(स्रोत: नमूना जाँचित पेयजल एवं स्वच्छता डिवीजन के द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े)

## परिशिष्ट-4.1.4

(संदर्भ: कंडिका-4.1.9.1; पृष्ठ 73)

नमूना जाँचित श.स्था.नि. में मकानों को दिये गये जलापूर्ति संयोजन को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	श.स्था.नि. के नाम	मकानों की कुल संख्या	जलापूर्ति से संयोजित मकानों की संख्या	कमी (प्रतिशत)
1	चास	25540	3785	21755 (85)
2	देवघर	15270	10183	5087(33)
3	धनबाद	62658	25479	37179 (59)
4	गढ़वा	4475	609	3866 (86)
5	जमशेदपुर	139529	3360	136169(98)
6	मधुपुर	5778	57	5721(99)
7	मानगो	44095	19704	24391(55)
8	मेदिनीनगर	13821	2740	11081(80)
9	राँची	243209	100628	142581(59)
10	साहेबगंज	17076	शून्य	17076(100)
<b>कुल</b>		<b>571451</b>	<b>166545</b>	<b>404906 (71)</b>

(स्रोत: नमूना जाँचित श.स्था.नि. के द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े)

**परिशिष्ट-4.1.5**

(संदर्भ: कंडिका-4.1.9.2; पृष्ठ 73)

**नमूना जाँचित श.स्था.नि. में प्रत्येक दिन मकानों में होने वाली जल की आवश्यकता की तुलना में जलापूर्ति को दर्शाने वाली विवरणी**

क्र.सं.	श.स्था.नि. के नाम	जनसंख्या के अनुसार जल की आवश्यकता (एम. एल.डी. में)	जलापूर्ति परियोजनाओं की क्षमता (एम. एल.डी. में)	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अनुसार जल की आवश्यकता (एम.एल.डी. में)	जलापूर्ति (एम. एल.डी. में)	जनसंख्या की आवश्यकता की तुलना में जलापूर्ति में कमी (प्रतिशत में)	आवश्यकता की तुलना में जलापूर्ति में कमी (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7=3-6	8=5-6
1	चास	21.18	24.00	19.10	7.70	13.48 (64)	11.40 (60)
2	देवघर	27.42	7.50	29.15	5.69	21.73 (79)	23.46 (80)
3	धनबाद	156.93	156.50	157.00	118.00	38.93 (25)	39.00 (25)
4	गढ़वा	6.22	17.50	6.08	0.72	5.50 (88)	5.36 (88)
5	जमशेदपुर	91.44	23.00	15.69	0.09	91.35 (99)	15.60 (99)
6	मधुपुर	7.46	48.00	15.00	4.50	2.96 (40)	10.50 (70)
7	मानगो	30.21	10.00	28.17	7.04	23.17 (77)	21.13 (75)
8	मेदिनीनगर	10.58	21.60	15.00	4.50	6.08 (57)	10.50 (70)
9	राँची	144.91	114.00	77.21	70.02	74.89 (52)	7.19 (9)
10	साहेबगंज	11.91	18.00	8.82	0.60	11.31 (95)	8.22 (93)
<b>कुल</b>		<b>508.26</b>	<b>440.10</b>	<b>371.22</b>	<b>218.86</b>	<b>289.40 (57)</b>	<b>152.36 (41)</b>

(स्रोत: नमूना जाँचित श.स्था.नि. के द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े)



## परिशिष्ट-4.1.6

(संदर्भ: कंडिका-4.1.9.3 एवं 4.1.9.4; पृष्ठ 74 और 75)

## जलापूर्ति संयोजन के विरुद्ध लगाये गये मीटर की संख्या

क्र. सं.	श.स्था.नि. के नाम	कुल मकानों की संख्या	जलापूर्ति से संयोजित कुल मकानों की संख्या	मकानों की संख्या जिन्हें जलापूर्ति से संयोजित नहीं किया गया	मकानों, जिनमें पाइप लाइन एवं मीटर लगाया गया है, की संख्या (प्रतिशत में)	मकानों, जिनमें बिना मीटर पाइप लाइन लगाया गया है, की संख्या (प्रतिशत में)
1	चास	25540	3785	21755	शून्य	3785 (100)
2	देवघर	15270	10183	5087	शून्य	10183 (100)
3	धनबाद	62658	25479	37179	25479 (100)	शून्य
4	गढ़वा	4475	609	3866	शून्य	609 (100)
5	जमशेदपुर	139529	3360	136169	शून्य	3360 (100)
6	मधुपुर	5778	57	5721	शून्य	57 (100)
7	मानगो	44095	19704	24391	788 (4)	18916 (96)
8	मेदिनीनगर	13821	2740	11081	शून्य	2740 (100)
9	राँची	243209	100628	142581	8408 (8)	92220 (92)
10	साहेबगंज	17076	शून्य	17076	शून्य	शून्य
	<b>कुल</b>	<b>571451</b>	<b>166545</b>	<b>404906</b>	<b>34675 (21)</b>	<b>131870 (79)</b>

(स्रोत: नमूना जाँचित श.स्था.नि. के द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े)

**परिशिष्ट-4.1.7**

(संदर्भ: कंडिका-4.1.9.5 ; पृष्ठ 76)

**नमूना जाँचित श.स्था.नि. में उपभोक्ता शुल्क तथा संचालन एवं रखरखाव लागत को दर्शाने वाली विवरणी**

(₹ लाख में)

क्र.सं.	श.स्था.नि. के नाम	2011-12 से 2015-16 के दौरान वसूला गया उपभोक्ता शुल्क	31 मार्च 2016 को बकाया जल शुल्क	पाँच वर्षों के लिए संचालन एवं रखरखाव शुल्क
1	धनबाद	814.50	463.18	1792.42
2	जमशेदपुर	12.11	110.38	288.00
3	मानगो	347.88	3006.27	2190.30
4	मेदिनीनगर	91.76	141.81	129.16
<b>कुल</b>		<b>1266.25</b>	<b>3721.64</b>	<b>4399.88</b>

(स्रोत: नमूना जाँचित श.स्था.नि. तथा पेयजल एवं स्वच्छता डिवीजन के द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े)

## परिशिष्ट-4.1.8

(संदर्भ: कंडिका-4.1.10.8; पृष्ठ 83)

## राँची नगर निगम द्वारा मोबिलाईजेशन अग्रिम पर सूद की हानि को दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	मोबिलाईजेशन अग्रिम दिये जाने की तिथि	मोबिलाईजेशन अग्रिम की आधिक्य राशि	28 फरवरी 2017 तक कुल दिन	सूद की राशि (@4 प्रतिशत प्रतिवर्ष)
1	15 अक्टूबर 2015	400000	502	22005
2	4 दिसंबर 2015	180000000	452	8916164
3	31 दिसंबर 2015	178875070	425	8331168
	<b>कुल</b>	<b>359275070</b>		<b>17269337</b>

**परिशिष्ट-4.1.9**

(संदर्भ: कंडिका-4.1.11.1; पृष्ठ 84)

**नमूना जाँचित श.स्था.नि. में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यान्वयन की स्थिति**

श.स्था.नि. के नाम	डी.पी.आर. का समर्पण/अनुमोदन	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना शुरू नहीं करने का कारण	अनियमितताएं
चास	2007-08	सुनता गाँव में चिन्हित लैंडफिल साईट में जंगल-झाड़ी होने के कारण उपायुक्त से अनापत्ति प्रमाणपत्र लिया जाना था परंतु चास नगरनिगम ऐसा कर पाने में असमर्थ रहा एवं भूमि अधिग्रहित नहीं किया गया।	डी.पी.आर. तैयार करने में व्यय ₹ 3.50 लाख निष्फल रहा। कचरा नगरपालिका क्षेत्र में गरगा नदी के पास फेंका जाता था।
देवघर	डी.पी.आर. तैयार किया जा रहा है।	लैंडफिल साईट उपलब्ध नहीं था	कचरा नगरपालिका क्षेत्र में रेलवे लाईन एवं दरबा नदी के पास फेंका जाता था।
धनबाद	उपलब्ध नहीं	लैंडफिल साईट उपलब्ध नहीं था	-
गढ़वा	डी.पी.आर. तैयार नहीं किया गया	लैंडफिल साईट उपलब्ध नहीं था	कचरा नगरपालिका क्षेत्र में फेंका जाता था
जमशेदपुर (जे.यू.ए.) जमशेदपुर अ.क्षे.स. एवं मानगो अ.क्षे.स.	28 अप्रैल 2010	खैरबानी में लैंडफिल साईट चिन्हित कर लिया गया था	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए रियायतग्राही नियुक्त किया गया था (अगस्त 2012) पर लैंडफिल साईट पर विवाद होने के कारण एकरारनामा रद्द कर दिया गया (अक्टूबर 2015) और कचरा जुस्को क्षेत्र में फेंका जा रहा था। हालांकि, जुडको के द्वारा एक नये रियायतग्राही आई.के. वर्ल्डवाइड, नई दिल्ली को नियुक्त किया गया लेकिन कार्य शुरू नहीं किया गया।
मधुपुर	डी.पी.आर. 2009 में तैयार किया गया लेकिन अनुमोदित नहीं किया गया	लैंडफिल साईट उपलब्ध नहीं था	13वें वि.आ. के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के लिए ₹ 2.55 करोड़ की निधि 2012-13 से अनुपयोगित पड़ी रही।
मेदिनीनगर	डी.पी.आर. तैयार नहीं किया गया	श.स्था.नि. के द्वारा भूमि का चयन कर लिया गया है परंतु न.वि. एवं आ.वि. का अनुमोदन प्रतीक्षित है।	कचरा नगरपालिका क्षेत्र में कोयल नदी के पास फेंका जाता था। 2006-07 से भूमि अधिग्रहण के लिए उपलब्ध करायी गयी ₹ 1.50 करोड़ की राशि अनुपयोगित है।
राँची	सितम्बर 2009	-	कचरा से ईट निर्माण, कांपोस्टिंग हेतु प्रसंस्करण संयंत्र नहीं बनाया जा सका।
साहेबगंज	डी.पी.आर. तैयार किया गया	लैंडफिल साईट उपलब्ध नहीं था	-

## परिशिष्ट – 4.1.10

(संदर्भ: कंडिका- 4.1.11.1; पृष्ठ 84)

वर्ष 2012-13 के स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन में उठायी गयी आपत्तियाँ जिनका अनुपालन राँ.न.नि. द्वारा नहीं किया गया

क्र.सं.	कंडिका संख्या	आपत्तियों का विवरण
1.	5.1.7.3	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त कुल अनुदान राशि ₹ 20.56 करोड़ प्राप्त हुई, यह पाया गया कि इस राशि में से ₹47.29 लाख की राशि का विचलन पी.एम.सी.-सह-टी.ए. को परामर्शी शुल्क भुगतान के लिए किया गया। सक्षम पदाधिकारी का आदेश/परिस्थितियाँ जिनकी वजह से राशि का विचलन हुआ लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया गया।
2.	5.1.8.7	रियायतग्राही के द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये आंकड़ों (विभिन्न वार्डों से प्रतिदिन संग्रहित राशि को इंगित करने वाले) के अनुसार कुल उपभोक्ता शुल्क ₹18.52 करोड़ के विरुद्ध रियायतग्राही के द्वारा मात्र ₹ 5.46 करोड़ की वसूली की गयी। यह भी पाया गया कि वसूल की गयी राशि के विरुद्ध कुल ₹5.44 करोड़ राँ.न.नि. के एस्कॉ एकाउंट में भेजा गया जिसकी वजह से ₹ 2.21 लाख की कमी हुई।
3.	5.1.8.10	रियायतग्राही को जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 तक की अवधि के लिए 80 प्रतिशत, ₹ 4.19 करोड़ की राशि पी.एम.सी.-सह-टी.ए. द्वारा मात्रा का सत्यापन किये बिना भुगतान किया गया था। स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी, राँ.न.नि. के सिफारिशों के आधार पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (मु.का.पदा.) के आदेशानुसार राशि का भुगतान किया गया था क्योंकि पी.एम.सी.-सह-टी.ए. अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने को अनिच्छुक था। मु.का.पदा. का कार्य आदेश समझौते के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था और किये गये भुगतान का औचित्य लेखापरीक्षा को नहीं बताया गया। यह पाया गया कि दुलाई की मात्रा का परियोजना अभियंता की सिफारिश/सत्यापन के बिना ₹ 3.82 करोड़ की राशि का अनियमित भुगतान किया गया।
4.	5.1.8.11	रियायत समझौता के खंड 7.2 के अनुसार समझौते में उल्लिखित अपने दायित्वों का निर्वहन किये जाने पर ही रियायतग्राही को टिपिंग शुल्क देय था। इसके अलावा, समझौते की अनुसूची 2 के अनुसार अन्य बातों के अलावा रियायतग्राही को टिपिंग शुल्क भुगतान के संबंध में निहित प्रावधानों के अनुसार पी.एम.सी.-सह-टी.ए. को हस्तांतरण स्टेशन, और उसके बाद कॉम्पोस्टिंग, लैंडफिलिंग, ईट निर्माण प्लांट इत्यादि साईट तक दुलाई की गयी अपशिष्ट की मात्रा को प्रमाणित करना आवश्यक था। इस प्रकार यह स्पष्ट था कि एम.एस.डब्ल्यू. के संग्रहण, परिवहन, उपचार और निपटान की पूरी प्रक्रिया कार्यान्वित किये जाने के लिये टिपिंग शुल्क का भुगतान किया जाना था। इसके अलावा पी.एम.सी.-सह-टी.ए. की भी यह राय थी कि रियायतग्राही द्वारा उदधृत टिपिंग शुल्क संपूर्ण कार्य के लिये था न कि केवल संग्रहण और परिवहन के लिए तथा क्योंकि रियायतग्राही द्वारा केवल संग्रहण और परिवहन का कार्य किया जा रहा था और प्रक्रमण एवं निपटान से संबंधित अन्य गतिविधियों को आरंभ नहीं किया गया था अतः उदधृत दरों पर टिपिंग शुल्क का दावा प्रस्तुत करने के लिए रियायतग्राही हकदार नहीं था। तदनुसार शुरु में दावा की गयी राशि का 50 प्रतिशत ही भुगतान किया जा रहा था जिसे रियायतग्राही के अनुरोध पर बढ़ा कर 80 प्रतिशत कर दिया गया। हालांकि, अंततः रोकी गयी पूरी राशि की विमुक्ति कर दिया गया तथा अप्रैल 2013 से पूरा भुगतान शुरु कर दिया गया।
5.		इसके अतिरिक्त रोकी गयी राशि का विमुक्ति/संपूर्ण राशि का भुगतान/(संग्रहण और परिवहन प्रचालन में सुधार) का आधार अनुपयुक्त था क्योंकि अपशिष्ट का असंतोषजनक संग्रहण/विभिन्न क्षेत्रों में नालियों की सफाई के बारे में/ रियायतग्राही को राँ.न.नि. द्वारा बार-बार सूचित किया गया था तथा निष्पादन में सुधार के लिए आदेशित किया जाना था।

(स्रोत: वा.त.नि.प्र. 2012-13)

**परिशिष्ट-4.1.11**

(संदर्भ: कंडिका-4.1.11.2; पृष्ठ 86)

**नमूना जाँचित श.स्था.नि. के द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट और संग्रहित अपशिष्ट तथा परिवहित किये गये अपशिष्ट की मात्रा में भिन्नता दर्शाती विवरणी**

अवधि	विवरण	चास	देवघर	धनबाद	गढ़वा	जमशेदपुर	मधुपुर	मानगो	मेदिनीनगर	राँची	साहेबगंज
2011-12	जनसंख्या 2011 में (लाख में)	1.42	2.03	11.62	0.46	6.29	0.55	2.24	0.78	10.73	0.88
	प्रतिवेदन के अनुसार उत्पन्न अपशिष्ट (ग्राम/व्यक्ति/दिन)	304	304	425	255	304	255	307	255	425	255
	उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा (मीट्रिक टन में)	43.06	61.75	494.05	11.75	191.22	14.09	68.77	19.99	456.21	22.49
	श.स्था.नि. के अनुसार उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा (मीट्रिक टन में)	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	अपशिष्ट संग्रहण की मात्रा	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	अपशिष्ट संग्रहण का प्रतिशत	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
2012-13	जनसंख्या 2012 में (लाख में)	1.45	2.08	11.97	0.47	6.48	0.57	2.31	0.81	10.98	0.91
	प्रतिवेदन के अनुसार उत्पन्न अपशिष्ट (ग्राम/व्यक्ति/दिन)	304	304	425	255	304	255	307	255	425	255
	उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा (मीट्रिक टन में)	44.05	63.17	508.87	12.10	196.99	14.51	70.83	20.59	466.70	23.17
	श.स्था.नि. के अनुसार उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा (मीट्रिक टन में)	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	अपशिष्ट संग्रहण की मात्रा	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	अपशिष्ट संग्रहण का प्रतिशत	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
2013-14	जनसंख्या 2013 में (लाख में)	1.48	2.13	12.33	0.49	6.67	0.59	2.38	0.83	11.23	0.94
	प्रतिवेदन के अनुसार उत्पन्न अपशिष्ट (ग्राम/व्यक्ति/दिन)	304	304	425	255	304	255	307	255	425	255
	उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा (मीट्रिक टन में)	45.06	64.62	524.14	12.46	202.77	14.94	72.96	21.20	477.43	23.86
	श.स्था.नि. के अनुसार उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा (मीट्रिक टन में)	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	अपशिष्ट संग्रहण की मात्रा	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	अपशिष्ट संग्रहण का प्रतिशत	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

अवधि	विवरण	चास	देवघर	धनबाद	गढ़वा	जमशेदपुर	मधुपुर	मानगो	मेदिनीनगर	राँची	साहेबगंज
2014-15	जनसंख्या 2014 में (लाख में)	1.52	2.17	12.70	0.50	6.87	0.60	2.45	0.86	11.49	0.96
	प्रतिवेदन के अनुसार उत्पन्न अपशिष्ट (ग्राम/व्यक्ति/दिन)	304	304	425	255	304	255	307	255	425	255
	उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा (मीट्रिक टन में)	46.10	66.11	539.86	12.83	208.85	15.39	75.15	21.84	488.41	24.58
	श.स्था.नि. के अनुसार उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा (मीट्रिक टन में)	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	अपशिष्ट संग्रहण की मात्रा	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	अपशिष्ट संग्रहण का प्रतिशत	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
2015-16	जनसंख्या 2015 में (लाख में)	1.55	2.22	13.08	0.52	7.08	0.62	2.52	0.88	11.76	0.99
	प्रतिवेदन के अनुसार उत्पन्न अपशिष्ट (ग्राम/व्यक्ति/दिन)	304	304	425	255	304	255	307	255	425	255
	उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा (मीट्रिक टन में)	47.16	68.24	556.06	13.22	215.23	15.85	77.40	22.50	580	25.32
	श.स्था.नि. के अनुसार उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा (मीट्रिक टन में)	24.64	102.22	509.00	5.00	258.00	10.00	67.00	25.00	अनुपलब्ध	22
	अपशिष्ट संग्रहण की मात्रा	19.00	60.00	420.00	5.00	100.00	10.00	60.00	25.00	अनुपलब्ध	17.60
	अपशिष्ट संग्रहण का प्रतिशत	77	58.70	82.51	100	38.76	100	90	100	अनुपलब्ध	80

(स्रोत: नमूना जाँचित श.स्था.नि. के द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली)

**परिशिष्ट -4.1.12**  
(संदर्भ: कंडिका-4.1.12; पृष्ठ 89)

**नमूना जाँचित श.स्था.नि. में स्वच्छता हेतु कर्मियों की आवश्यकता एवं उपलब्धता को दर्शाने वाली विवरणी**

विवरण	चास		देवघर		धनबाद		गढ़वा		जमशेदपुर		मधुपुर		मानगो		मेदिनीनगर		राँची		साहिबगंज	
	आवश्यकता	उपलब्ध	आवश्यकता	उपलब्ध	आवश्यकता	उपलब्ध	आवश्यकता	उपलब्ध	आवश्यकता	उपलब्ध	आवश्यकता	उपलब्ध	आवश्यकता	उपलब्ध	आवश्यकता	उपलब्ध	आवश्यकता	उपलब्ध	आवश्यकता	उपलब्ध
<b>लोक स्वास्थ्य स्कंध</b>																				
लोक स्वास्थ्य अधिकारी/पर्यावरण अधिकारी	00	00	01	00	00	00	00	00	01	00	00	00	01	00	01	00	00	00	01	00
सहायक लोक स्वास्थ्य अधिकारी/पर्यावरण अधिकारी	01	00	00	00	02	00	00	00	02	00	01	00	01	00	00	00	02	00	00	00
मुख्य सफाई निरीक्षक	00	00	01	00	00	00	00	00	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
सफाई निरीक्षक	00	01	04	00	00	04	00	00	02	00	00	00	01	00	00	01	00	00	00	00
सफाई पर्यवेक्षक	15	01	20	01	28	20	00	03	23	04	15	03	20	01	15	19	28	26	15	09
सफाईकर्मी (एक सफाईकर्मी @ 500 मीटर लंबी सड़क /नाली)	250	196	964	98	466	834	118	66	288	776	122	66	276	234	507	193	953	322	652	117
<b>कुल</b>	<b>266</b>	<b>198</b>	<b>990</b>	<b>99</b>	<b>496</b>	<b>858</b>	<b>118</b>	<b>69</b>	<b>317</b>	<b>780</b>	<b>138</b>	<b>69</b>	<b>299</b>	<b>235</b>	<b>523</b>	<b>213</b>	<b>983</b>	<b>348</b>	<b>668</b>	<b>126</b>
<b>उपलब्धता का प्रतिशत</b>		<b>74</b>		<b>10</b>		<b>173</b>		<b>58</b>		<b>246</b>		<b>50</b>		<b>79</b>		<b>41</b>		<b>35</b>		<b>19</b>

(स्रोत: नमूना जाँचित श.स्था.नि. के द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली एवं न.वि. एवं आ.वि. का संकल्प)



## परिशिष्ट -4.1.13

(संदर्भ: कंडिका-4.1.12; पृष्ठ 90)

नमूना जाँचित श.स्था.नि. में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक तथा उपलब्ध वाहनों की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी

विवरण	एक लाख से कम जनसंख्या								एक से पाँच लाख जनसंख्या						पाँच से दस लाख के बीच जनसंख्या		पाँच से बीस लाख के बीच जनसंख्या			
	गढ़वा		मधुपुर		मेदिनीनगर		साहेबगंज		चास		मानगो		देवघर		जमशेदपुर		धनबाद		राँची	
	आवश्यकता	उपलब्ध	आवश्यकता	उपलब्ध	आवश्यकता	उपलब्ध	आवश्यकता	उपलब्ध	आवश्यकता	उपलब्ध	आवश्यकता	उपलब्ध	आवश्यकता	उपलब्ध	आवश्यकता	उपलब्ध	आवश्यकता	उपलब्ध	आवश्यकता	उपलब्ध
कंटेनराइज्ड हैडक्राफ्ट्स	150	00	150	00	150	00	150	00	750	70	750	00	750	00	1500	00	3000	00	3000	अनुपलब्ध
कंटेनराइज्ड ट्राईसिक्ल्स	10	00	10	00	10	00	10	00	50	00	50	00	50	00	100	00	200	00	200	अनुपलब्ध
झुग्गी झोपड़ियों के लिए कचरा पेटी	50	00	50	00	50	00	50	00	500	00	500	00	500	00	1500	00	4000	00	4000	अनुपलब्ध
कीचड़ हटाने के लिए सीमलेस हैडक्राफ्ट	20	02	20	00	20	00	20	00	100	00	100	00	100	00	200	00	400	00	400	अनुपलब्ध
अपशिष्ट के सीधे संग्रहण के लिए छोटे वाहन	00	00	00	00	00	02	00	00	04	09	04	17	04	01	08	06	16	02	16	अनुपलब्ध
अपशिष्ट भंडारण के लिए क्लोज्ड ट्रेलर	40	00	40	00	40	02	40	00	00	00	00	02	00	01	00	05	00	10	0	अनुपलब्ध
क्लोज्ड डंपर प्लेसर ट्राईप्स कंटेनर्स 4.5 क्यूबिक मीटर आयतन	00	00	00	00	00	03	00	01	200	05	200	00	200	07	200	01	300	00	300	अनुपलब्ध
क्लोज्ड डंपर प्लेसर कंटेनर्स 7 क्यूबिक मीटर आयतन	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	140	01	333	00	333	अनुपलब्ध
डंपर प्लेसर मशीन 4.5+7 क्यूबिक मीटर कंटेनर्स हेतु	00	01	00	00	00	00	00	00	15	00	15	00	15	00	25	00	45	00	45	अनुपलब्ध
घरेलु खतरनाक अपशिष्ट के लिए डब्बा	05	00	05	00	05	01	05	00	15	00	15	04	15	01	25	00	50	00	50	अनुपलब्ध
ट्रैक्टर्स	05	03	05	04	05	04	05	09	00	10	00	00	00	11	00	03	00	70	0	अनुपलब्ध

निर्माण अपशिष्ट के लिए 4.5 क्यूबिक मीटर स्किप्स	00	00	00	00	00	00	00	00	10	00	10	04	10	00	20	00	40	00	40	अनुपलब्ध
स्किप फिल्टर्स	00	00	00	00	00	00	00	00	02	00	02	00	02	00	03	00	05	05	5	अनुपलब्ध
अस्पताल से अपशिष्ट संग्रहण हेतु छोटे वाहन	02	00	02	00	02	00	02	00	03	00	03	00	03	00	05	00	10	00	10	अनुपलब्ध
भस्मक संयंत्र	02	00	02	00	02	00	02	00	02	00	02	00	02	00	02	00	03	00	3	अनुपलब्ध
बुलडोजर्स/व्हीलडोजर्स	00	00	00	00	00	00	00	00	01	02	01	01	01	00	01	00	02	15	2	अनुपलब्ध
<b>कुल</b>	<b>284</b>	<b>06</b>	<b>284</b>	<b>04</b>	<b>284</b>	<b>12</b>	<b>284</b>	<b>10</b>	<b>1652</b>	<b>96</b>	<b>1652</b>	<b>28</b>	<b>1652</b>	<b>21</b>	<b>3729</b>	<b>16</b>	<b>8404</b>	<b>102</b>	<b>8404</b>	<b>अनुपलब्ध</b>
<b>उपलब्धता की प्रतिशतता</b>		<b>2.11</b>		<b>1.41</b>		<b>4.22</b>		<b>3.50</b>		<b>5.81</b>		<b>1.69</b>		<b>1.27</b>		<b>0.43</b>		<b>1.21</b>		

(स्रोत: नमूना जाँचित श.स्था.नि. के द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली)

**परिशिष्ट - 5.1.1**  
(संदर्भ: कंडिका- 5.1.3; पृष्ठ 95)

**नौ शर्तें जिसे मार्च, 2012 तक पूरा कर लेना था**

शर्त संख्या	शर्त	मार्गदर्शिका की कंडिका सं.	अनुपालन की स्थिति
1 (क)	श.स्था.नि. के लिए बजट दस्तावेजों का पूरक पत्र तैयार किया जाना	6.4.2 (क)	2010-11 से अनुपालित
1 (ख)	राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा मेनुअल में अनुशंसित लेखा प्रारूप एवं वर्गीकरण पद्धति के अनुरूप लेखा का रुपरेखा लागू करना	6.4.2 (घ)	अनुपालन किया गया। विज्ञप्ति सं. 604 दिनांक: 8/10/2012
2	राज्य सरकार द्वारा श.स्था.नि. के सभी श्रेणियों के लिए लेखापरीक्षा प्रणाली अपनाना	6.4.4	गजट विज्ञप्ति सं. 165 दिनांक: 31/03/2012 के द्वारा 13वें वि.आ. के अनुशंसा के आलोक में श.स्था.नि. के तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण (टी.जी.एस.) का कार्य नि.म.ले.प. को सौंपा गया, जो 31 मार्च 2012 से प्रभावी बनाया गया। इस सन्दर्भ में 2012-13 के बाद से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय, झारखण्ड, राँची के द्वारा श.स्था.नि. में लेखापरीक्षा प्रणाली अपनाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
3	स्वतंत्र स्थानीय निकाय लोकपाल का गठन	6.4.5	अनुपालन किया गया। विज्ञप्ति सं. 346 दिनांक 28/01/2014 म्युनिसिपल लोकायुक्त की शक्तियाँ एवं कार्यों को लोकायुक्त, झारखण्ड को सौंपा गया है।
4	भारत सरकार से प्राप्त निधि के अंतरण की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी चाहिए	6.4.6	यद्यपि, वित्त विभाग, झा.स. द्वारा निधि का इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया एवं सभी विभागों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया फिर भी, मार्च 2016 तक श.स्था.नि. को निधि का इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण प्रारंभ नहीं हुआ।
5	रा.वि.आ. के सदस्यों की अहर्ता	6.4.7	अनुपालन किया गया। विज्ञप्ति सं. 96 दिनांक : 20/01/04
6	बिना बाधा के श.स्था.नि. के द्वारा संपत्ति का लगाना	6.4.8	अनुपालन किया गया। श.वि.वि. के द्वारा विज्ञप्ति सं. 641 दिनांक : 17/02/14 के द्वारा नगरपालिका सम्पत्ति कर (कर निर्धारण, संग्रह एवं वसूली) नियम, 2013 की विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है।
7	राज्य सम्पत्ति कर बोर्ड का गठन	6.4.9	अनुपालन किया गया। श.वि.वि. के द्वारा विज्ञप्ति सं. 1874 दिनांक : 13/05/14 के द्वारा झारखण्ड सम्पत्ति कर बोर्ड गठन एवं अपील नियम, 2013 की विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है।
8	मानक सेवा स्तर मापदंड	6.4.10	अनुपालन किया गया। विज्ञप्ति सं. 2697 दिनांक : 09/08/11
9	दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए अग्नि से खतरा और शमन योजना	6.4.11	श.वि.वि. झा.स. के द्वारा विज्ञप्ति सं. 1843 दिनांक : 09/05/14 के द्वारा 30 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों राँची, धनबाद एवं जमशेदपुर के लिए अग्नि से खतरा और शमन योजना की विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है।

(स्रोत: न.वि. एवं आ.वि. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

**परिशिष्ट - 5.1.2**

(संदर्भ: कंडिका- 5.1.3.1; पृष्ठ 96)

**नमूना जाँचित श.स्था.नि. की 2010-16 की अवधि में वित्तीय स्थिति**

(₹ करोड़ में)

श.स्था.नि.	वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियाँ					कुल उपलब्ध निधि	व्यय	अंतिम शेष	उपलब्ध निधि में खर्च का प्रतिशत
			जी.बी.जी.	जी.पी.जी.	एस.बी.जी.	ए.पी.जी.	कुल प्राप्तियाँ				
चाईबासा न.प.	2010-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012-13	0	3.15	0	0	0	3.15	3.15	0	3.15	0
	2013-14	3.15	3.25	0	0.63	0	3.88	7.03	0	7.03	0
	2014-15	7.03	1.89	0	0	0	1.89	8.92	0	8.92	0
	2015-16	8.92	0	0	0	0	0	8.92	0.68	8.24	8
चतरा न.प.	2010-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014-15	0	3.62	0	0	0	3.62	3.62	0.19	3.43	5
	2015-16	3.43	0	0	0	0	0	3.43	0.17	3.26	5
देवघर न.नि.	2010-11	0	7.18	0	0	0	7.18	7.18	0	7.18	0
	2011-12	7.18	0	0	0	0	0	7.18	0.02	7.16	0
	2012-13	7.16	0.99	0	0	0	0.99	8.15	0.25	7.9	3
	2013-14	7.9	3.22	0	0	0	3.22	11.12	0.64	10.48	6
	2014-15	10.48	13.2	0	0	0	13.2	23.68	7.15	16.53	30
	2015-16	16.53	0.75	0	0	0	0.75	17.28	3.35	13.93	19
धनबाद न.नि.	2010-11	0	9.36	0	0	0	9.36	9.36	0	9.36	0
	2011-12	9.36	0	0	0	0	0	9.36	0	9.36	0
	2012-13	9.36	0	0	0	0	0	9.36	0	9.36	0
	2013-14	9.36	2.9	0	0	0	2.9	12.26	0	12.26	0
	2014-15	12.26	15.27	0	0	0	15.27	27.53	3.33	24.2	12
	2015-16	24.2	5.25	0	1.38	0	6.63	30.83	12.72	18.11	41
दुमका न.प.	2010-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011-12	0	5	0	0	0	5	5	0.23	4.77	5
	2012-13	4.77	0.2	0	0	0	0.2	4.97	2.02	2.95	41
	2013-14	2.95	0	0	0	0	0	2.95	1.28	1.67	43
	2014-15	1.67	6.02	0	0	0	6.02	7.69	0	7.69	0
	2015-16	7.69*	0	0	0	0	0	7.69	0.85	6.84	11
गुमला न.प.	2010-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012-13	0	0.54	0	0	0	0.54	0.54	0	0.54	0
	2013-14	0.54	0.66	0	0	0	0.66	1.2	0.06	1.14	5
	2014-15	1.14	3.04	0	0	0.3	3.34	4.48	0.18	4.3	4
	2015-16	4.3	0	0	0	0	0	4.3	1.73	2.57	40
मेदनीनगर न.प.	2010-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014-15	0	5.2	0	0	0	5.2	5.2	0	5.2	0
	2015-16	5.2	0	0	0	0	0	5.2	1.72	3.48	33

श.स्था.नि.	वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियाँ					कुल उपलब्ध निधि	व्यय	अंतिम शेष	उपलब्ध निधि में खर्च का प्रतिशत
			जी.बी.जी.	जी.पी.जी.	एस.बी.जी.	ए.पी.जी.	कुल प्राप्ति				
राँची न.नि.	2010-11	0	0.46	0	0	0	0.46	0.46	0	0.46	0
	2011-12	0.46	0	0	0	0	0	0.46	0	0.46	0
	2012-13	0.46	6.03	0	0	0	6.03	6.49	0.21	6.28	3
	2013-14	6.28	1.5	0	0	4.28	5.78	12.06	1.32	10.74	11
	2014-15	10.74	39.04	0	3.81	0	42.85	53.59	20.77	32.82	39
	2015-16	32.82	13.77**	0	2.43	0	16.2	49.02	14.75	34.27	30
साहिबगंज न.प.	2010-11	0	5.61	0	0	0	5.61	5.61	5.6***	0.01	-
	2011-12	0.01	0	0	0	0	0	0.01	0	0.01	0
	2012-13	0.01	4.28	0	4	0	8.28	8.29	4	4.29	48
	2013-14	4.29	0.25	4	3	8	15.25	19.54	10	9.54	51
	2014-15	9.54	1.91	0	0	0.75	2.66	12.2	2.47	9.73	20
	2015-16	9.73	4	6.77	0	3.62	14.39	24.12	10.68	13.44	44
<b>कुल</b>			<b>167.54</b>	<b>10.77</b>	<b>15.25</b>	<b>16.95</b>	<b>210.51</b>		<b>106.37</b>	<b>104.14</b>	

\* वित्त विभाग, झा.स. के पत्र सं. 1790 दिनांक 22/05/2014 के अनुपालन में ₹ 1.47 करोड़ प्रत्यर्पित किया गया।

\*\* इसमें ₹ 0.39 करोड़ का बैंक सूद शामिल है।

\*\*\* पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को राशि का हस्तांतरण किया गया।

**परिशिष्ट - 5.1.3**

(संदर्भ: कंडिका- 5.1.3.2 पृष्ठ 97)

**झा.स. द्वारा निधि को विलम्ब से विमुक्त करने के कारण भुगतान की गयी दंडात्मक ब्याज की राशि**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	किस्त	अनुदान की उप श्रेणी	भा.स. का पत्र सं.	भा.स. द्वारा विमुक्ति की तिथि	भा.स. द्वारा झा.स. को विमुक्त की गई राशि	श.स्था.नि. के नाम	झा.स. का आवंटन पत्रांक सं.	दिनांक	झा.स. द्वारा श.स्था.नि. को विमुक्त की गई राशि	विमुक्ति की तिथि	झा.स. पर बकाया ब्याज
2011-12	1F	जी.पी.जी.	04/2011-12	31-मार्च-12	305.38	न.प. मधुपुर	3	2-मई-12	305.38	26	2.03
2011-12	1	जी.बी.जी.	34/2011-12	30-मार्च-12	2307.64	10 श.स्था.नि.	41,42,43	30-अगस्त-12	2307.36	147	84.00
2010-11	1	एस.ए.बी.जी.	01/2010-11	15-जुलाई-10	1750	न.प. साहिबगंज	153	19-मार्च-13	400	962	76.59
2010-11	2	एस.ए.बी.जी.	29/2010-11	22-मार्च-12	1750	3 श.स्था.नि.	154	19-मार्च-13	335.76	356	29.46
				22-मार्च-12		न.प. गढ़वा		42		11-सितम्बर-13	
2012-13	2	एस.ए.पी.जी.	42/2012-13	13-मार्च-13	1750	न.प. साहिबगंज	30	5-जुलाई-13	300	108	7.42
				13-मार्च-13		न.प. चिरकुंडा		35		15-जुलाई-13	
2012-13	1F	जी.पी.जी.	56/2012-13	30-मार्च-13	574.69	न.प. साहिबगंज	30	5-जुलाई-13	400	91	8.30
				30-मार्च-13		न.प. चिरकुंडा		35		15-जुलाई-13	
2011-12	2	एस.ए.बी.जी.	40/2012-13	8-मार्च-13	1750	न.प. साहिबगंज	30	5-जुलाई-13	300	113	7.78
				8-मार्च-13		न.प. चिरकुंडा		35		15-जुलाई-13	
2012-13	1	एस.ए.पी.जी.	35/2012-13	31-जनवरी-13	1750	न.प. साहिबगंज	43	11-सितम्बर-13	500	217	26.45
2011-12	1	एस.ए.बी.जी.	02/2012-13	3-मई-12	1750	न.प. चिरकुंडा	43	11-सितम्बर-13	144.04	490	17.31
2012-13	1	एस.ए.बी.जी.	03/2013-14	13- मई -13	1750	न.प. चिरकुंडा	43	11-सितम्बर-13	144.04	115	4.17
2011-12	2	जी.बी.जी.	42/2013-14	18 नवम्बर-13	2707.64	28 श.स्था.नि.	74	6-जनवरी-14	2707.64	43	27.91
2013-14	1F	एस.ए.पी.जी.	70/2013-14	31-मार्च-14	881.52	16 श.स्था.नि.	3	30 अप्रैल 14	1534.1	24	0.14
2013-14	2F	एस.ए.पी.जी.	71/2013-14	31-मार्च-14	586.36						
2012-13	1F	एस.ए.पी.जी.	76/2013-14	31-मार्च-14	792.56						
2012-13	2F	एस.ए.पी.जी.	77/2013-14	31-मार्च-14	545.81						
2013-14	1	एस.ए.पी.जी.	78/2013-14	31-मार्च-14	1750						
2011-12	1F	एस.ए.पी.जी.	83/2013-14	31-मार्च-14	477.86						
2012-13	1	जी.बी.जी.	65/2013-14	29-मार्च-14	2685.55	12 श.स्था.नि.	4, 6 और 7	30-अप्रैल-14	2685.55	26	17.22
2013-14	1F	जी.पी.जी.	109/2014-15	24-मार्च-15	952.16	दो श.स्था.नि.	90	9-नवम्बर-15	952.16	224	48.15
2014-15	1	एस.ए.पी.जी.	130/2014-15	31-मार्च-15	1663	न.प. साहिबगंज	91	9-नवम्बर-15	362	217	17.72
<b>झा.स. पर कुल बकाया ब्याज</b>											<b>387.36</b>
<b>श.स्था.नि. को झा.स. द्वारा भुगतान किया गया ब्याज</b>											<b>238.24</b>
<b>झा.स. द्वारा भुगतान नहीं किया गया ब्याज</b>											<b>149.12</b>

**परिशिष्ट - 5.1.4**  
(संदर्भ: कंडिका- 5.1.4.7; पृष्ठ 107)  
**बिटुमिन के अधिक भुगतान को दर्शाती विवरणी**

(राशि ₹ में)

कार्य का नाम	विवरण	इकाई	कार्य में उपयोग की गयी बिटुमिन के लिए भुगतान (प्राक्कलन में निर्धारित दर के आधार पर) (1)				कार्य में उपयोग की गयी बिटुमिन का वास्तविक क्रय मूल्य (2)				कुल अधिक (1-2)
			VG30 पैक	VG30 बल्क	इमल्शन	कुल	VG30 पैक	VG30 बल्क	इमल्शन	कुल	
धनबाद सिंदरी पाथेरडीह	मात्रा	टन	63.23	36.04	8.24	107.51	43.51	55.76	8.24	107.51	0.00
	बिटुमिन का दर	प्रति टन	52269.00	47539.60	45850.00	-	44204.20	39372.90	42703.45	-	-
	कुल लागत	रकम ₹ में	3304968.87	1713327.18	377804.00	5396100.05	1923324.74	2195432.90	351876.43	4470634.07	925465.98
कतरास मोड़, बाटा मोड़	मात्रा	टन	137.93	0.00	8.85	146.78	0.00	137.93	8.85	146.78	0.00
	बिटुमिन का दर	प्रति टन	52269.00	47539.60	45850.00	-	0.00	38593.70	42322.10	-	-
	कुल लागत	रकम ₹ में	7209463.17	0.00	405772.50	7615235.67	0.00	5323229.04	374550.59	5697779.63	1917456.04
लोयाबाद	मात्रा	टन	30.02	17.19	6.20	53.41	47.21	0.00	6.20	53.41	0.00
	बिटुमिन का दर	प्रति टन	52269.00	47539.60	45850.00	-	38085.60	0.00	39315.50	-	-
	कुल लागत	रकम ₹ में	1569115.38	817205.72	284270.00	2670591.10	1798021.18	0.00	243756.10	2041777.28	628813.83
जनता फार्मसी	मात्रा	टन	15.58	20.40	4.29	40.27	0.00	35.98	4.29	40.27	0.00
	बिटुमिन का दर	प्रति टन	52269.00	47539.60	45850.00	-	0.00	37593.95	41465.80	-	-
	कुल लागत	रकम ₹ में	814351.02	969807.84	196696.50	1980855.36	0.00	1352630.32	177888.28	1530518.60	450336.76
परबदपुर	मात्रा	टन	10.91	0.00	0.00	10.91	10.91	0.00	0.00	10.91	0.00
	बिटुमिन का दर	प्रति टन	52269.00	47539.60	45850.00	-	0.00	0.00	0.00	-	-
	कुल लागत	रकम ₹ में	570254.79	0.00	0.00	570254.79	488945.80	0.00	0.00	488945.80	81308.99
सिंदरी आंबेडकर चौक	मात्रा	टन	68.69	82.00	9.00	159.69	0.00	150.69	9.00	159.69	0.00
	बिटुमिन का दर	प्रति टन	52269.00	47539.60	45850.00	-	0.00	37704.90	40459.70	-	-
	कुल लागत	रकम ₹ में	3590357.61	3898247.20	412650.00	7901254.81	0.00	5681751.38	364137.30	6045888.68	1855366.13
		बिटुमिन	326.36	155.63	36.58	518.57	101.63	380.36	36.58	518.57	0.00
<b>कुल (अ)</b>		लागत	<b>17058510.84</b>	<b>7398587.95</b>	<b>1677193.00</b>	<b>26134291.79</b>	<b>4210291.72</b>	<b>14553043.65</b>	<b>1512208.70</b>	<b>20275544.06</b>	<b>5858747.73</b>
<b>साहेबगंज</b>	<b>विवरण</b>	<b>इकाई</b>	<b>VG30 पैक</b>	<b>एस एस-I</b>	<b>आर एस-I</b>	<b>कुल</b>	<b>VG30 पैक</b>	<b>एस एस-I</b>	<b>आर एस-I</b>	<b>कुल</b>	<b>कुल अधिक</b>
हाट से आवासीय विद्यालय, वार्ड नं.-7	मात्रा	टन	9.708	1.8	0.6	12.11	9.708	1.8	0.6	12.11	0.00
	बिटुमिन का दर	प्रति टन	52269.00	45850	44006	-	45696.2299	42043.3333	40390	-	-
	कुल लागत	रकम ₹ में	507427.45	82530.00	26403.60	616361.05	443619.00	75678.00	24234.00	543531.00	72830.05
वेस्ट रेलवे क्रॉसिंग फाटक से रसूलपुर दहला, वार्ड नं.-5 (पार्ट-II)	मात्रा	टन	16.0182	0	0	16.02	16.0182	0	0	16.02	0.00
	बिटुमिन का दर	प्रति टन	52269.00	45850	44006	-	41647.44	0	0	-	-
	कुल लागत	रकम ₹ में	837255.30	0.00	0.00	837255.30	667117.00	0.00	0.00	667117.00	170138.30

साहेबगंज	विवरण	इकाई	VG30 पैक	एस एस-1	आर एस-1	कुल	VG30 पैक	एसएस-1	आर एस-1	कुल	कुल अधिक
वेस्ट रेलवे क्रॉसिंग फाटक से रसूलपुर दहला, वार्ड नं.-5 (पार्ट- I)	मात्रा	टन	10.1934	1.6	0.4	12.19	10.1934	1.6	0.4	12.19	0.00
	बिटुमिन का दर	प्रति टन	52269.00	45850	44006	-	44373.22	41731.25	40485	-	-
	कुल लागत	रकम ₹ में	532798.82	73360.00	17602.40	623761.22	452314.00	66770.00	16194.00	535278.00	88483.22
गोपाल रोड से दहला रोड, राजेश्वरी सिनेमा हॉल से होकर	मात्रा	टन	26.449	0	1.4	27.85	26.449	0	1.4	27.85	0.00
	बिटुमिन का दर	प्रति टन	52269.00	45850	44006	-	43282.73	-	39578.5714	-	-
	कुल लागत	रकम ₹ में	1382462.78	0.00	61608.40	1444071.18	1144785.00	0.00	55410.00	1200195.00	243876.18
बाटा चौक से महाराजा चाट भंडार	मात्रा	टन	10.5168	1.8	0.6	12.92	10.5168	1.8	0.6	12.92	0.00
	बिटुमिन का दर	प्रति टन	52269.00	45850	44006	-	45697.08	42043.333	40391.6667	-	-
	कुल लागत	रकम ₹ में	549702.62	82530.00	26403.60	658636.22	480587.00	75678.00	24235.00	580500.00	78136.22
वेस्ट रेलवे क्रॉसिंग से अंजुमन नगर	मात्रा	टन	6.1484	0	1.4	7.55	6.1484	0	1.4	7.55	0.00
	बिटुमिन का दर	प्रति टन	52269.00	45850	44006	-	41266.83	-	38022.8571	-	-
	कुल लागत	रकम ₹ में	321370.72	0.00	61608.40	382979.12	253725.00	0.00	53232.00	306957.00	76022.12
मजहरटोल रेलवे पथ से माया दीदी के घर	मात्रा	टन	6.3102	1.20	0.40	7.91	6.3102	1.20	0.40	7.91	0.00
	बिटुमिन का दर	प्रति टन	52269.00	45850	44006	-	45696.17	41213.333	39202.5	-	-
	कुल लागत	रकम ₹ में	329827.84	55020.00	17602.40	402450.24	288352.00	49456.00	15681.00	353489.00	48961.24
सरदार पटेल चौक से बादशाह मोड़	मात्रा	टन	0.3236	1.6	1.6	3.52	0.3236	1.6	1.6	3.52	0.00
	बिटुमिन का दर	प्रति टन	52269.00	45850	44006	-	41452.41	42541.25	38980.625	-	-
	कुल लागत	रकम ₹ में	16914.25	73360.00	70409.60	160683.85	13414.00	68066.00	62369.00	143849.00	16834.85
		बिटुमिन	<b>85.67</b>	<b>8.00</b>	<b>6.40</b>	<b>100.07</b>	<b>85.67</b>	<b>8.00</b>	<b>6.40</b>	<b>100.07</b>	<b>0.00</b>
<b>कुल (ब)</b>		लागत	<b>4477759.78</b>	<b>366800.00</b>	<b>281638.40</b>	<b>5126198.18</b>	<b>3743913.00</b>	<b>335648.00</b>	<b>251355.00</b>	<b>4330916.00</b>	<b>795282.18</b>
										<b>कुल (अ + ब)</b>	<b>6654029.91</b>



**परिशिष्ट - 5.1.5**  
(संदर्भ: कंडिका- 5.1.4.10; पृष्ठ 110)  
**दंड की नहीं/कम कटौती को दर्शाती विवरणी**

(₹ लाख में)

क्र.सं.	श.स्था.नि. का नाम	कार्यों की संख्या	प्राक्कलित राशि	दंड		
				काटी जाने वाली दंड की राशि	काटी गई दंड की राशि	नहीं/कम कटौती
1	चाईबासा न.प.	2	34.92	3.49	शून्य	3.49
2	चतरा न.प.	3	74.91	7.49	शून्य	7.49
3	देवघर न.नि.	7	188.19	18.82	शून्य	18.82
4	धनबाद न.नि.	16	934.31	93.43	शून्य	93.43
5	दुमका न.प.	8	304.47	22.72	शून्य	22.72
6	गुमला न.प.	2	29.52	2.92	0.19	2.73
7	मेदिनीनगर न.प.	2	443.17	44.32	शून्य	44.32
8	राँची न.नि.	4	62.73	6.27	0.95	5.32
9	साहिबगंज न.प.	4	163.04	16.30	शून्य	16.30
<b>कुल</b>		<b>48</b>	<b>2235.26</b>	<b>215.76</b>	<b>1.14</b>	<b>214.62</b>

**परिशिष्ट - 5.1.6**

(संदर्भ: कंडिका- 5.2; पृष्ठ 112)

**वसूली नहीं गयी सेवा कर की राशि**

नगर निगम	वसूली गयी राजस्व	वसूली जाने वाली सेवा कर	वास्तविक रूप में वसूली गयी सेवा कर की राशि	वसूली नहीं गयी सेवा कर की राशि	(₹ करोड़ में)
					परिशिष्ट
राँ.न.नि.	20.53	2.54	1.15	1.39	5.1.6 (क)
घ.न.नि.	03.47	0.39	0.22	0.17	5.1.6 (ख)
दे.न.नि.	06.03	0.73	शून्य	0.73	5.1.6 (ग)
<b>कुल</b>	<b>30.03</b>	<b>3.66</b>	<b>1.37</b>	<b>2.29</b>	

**परिशिष्ट - 5.1.6 (क)**  
**राँची नगर निगम के द्वारा कम/नहीं वसूली गयी सेवा कर की राशि**

(राशि ₹ में)

विवरण	2007-08 (1/6/07 से लागू)	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	कुल
दुकान किराये से वसूल किया गया राजस्व	43,51,681	6480709	8708624	11100373	13668151	13728708	13460414	11494331	15183807	98176798
देय सेवा कर	537868	801016	896988	1143338	1407820	1696868	1663707	1420699	2201652	11769956 (क)
वसूली गयी सेवा कर की राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1811023	2362442	4173465
देय सेवा कर जो वसूल नहीं किया गया	537868(12.36%)	801016(12.36%)	896988(10.30%)	1143338(10.30%)	1407820(10.30%)	1696868(12.36%)	1663707(12.36%)	(-) 390324	(-) 160790	7596491 (ख)
2015-16 तक ब्याज	537868*13%*8 =559383	801016*13%*7 =728925	896988*13%*6 =699651	1143338*13%*5 =743170	1407820*18%*4 =1013630	1696868*18%*3 =916308	1663707*18%*2 =598935	-	-	5260002 (I)
बस पड़ाव/टेक्सी पड़ाव/हाट बाजार/ पार्किंग आदि के बंदोबस्ती से वसूल किया गया राजस्व	लागू नहीं	5659450	4597020	4581868	5902044	13006845	21244330	20158359	32048640	107198556
देय सेवा कर		699508	473493	471932	607910	1607646	2625799	2491573	4647053	13624914 (ग)
वसूली गयी सेवा कर की राशि	लागू नहीं	शून्य	456482	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2491573	4420911	7368966
देय सेवा कर जो वसूल नहीं किया गया	-	699508(12.36%)	17011 <sup>1</sup> (10.30%)	471932(10.30%)	607910(10.30%)	1607646(12.36%)	1625799(12.36%)	शून्य	226142	6255948 (घ)
2015-16 तक ब्याज	-	699508*13%*7 =636552	17011*13%*6 =13269	471932*13%*5 =306756	607910*15%*4 =3 64746 <sup>2</sup>	1607646*18%*3 =868129	2625799*18%*2 =945288	-	-	3134740 (II)
<b>देय सेवा कर जो वसूली नहीं गयी (ख+घ) =</b>										<b>13852439</b>
<b>ब्याज (I-II)=</b>										<b>8394742</b>
<b>देय सेवा कर (क+ग)</b>										<b>25394870</b>

<sup>1</sup> राँ.न.नि. द्वारा बंदोबस्ती से सेवा कर के रूप में ₹ 456482/- वसूली गयी थी। अतः राँ.न.नि. पर ₹ 17011/- बकाया था (₹ 473493- ₹ 456482)।

<sup>2</sup> ₹ 60 लाख तक के कारोबार

परिशिष्ट – 5.1.6 (ख)  
धनबाद नगर निगम के द्वारा कम/नहीं वसूली गयी सेवा कर की राशि

विवरण	2007-08 (1/6/07 से) (12.36%)	2008-09 (12.36%)	2009-10 (10.30%)	2010-11 (10.30%)	2011-12 (10.30%)	2012-13 (12.36%)	2013-14 (12.36%)	2014-15 (12.36%)	2015-16	कुल
दुकान किराये से वसूल किया गया राजस्व	712139	960938	667648	1634866	614182	1683571	1528995	2955292	6095510	16853141
देय सेवा कर	--	--	--	168391	--	208089	188984	365274	914326	1845064 (क)
वसूली गयी सेवा कर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	117408	452308	581083	1150799
देय सेवा कर जो वसूल नहीं किया गया	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	168391	लागू नहीं	208089	71576 <sup>3</sup>	(-) <sup>87034</sup>	333243 <sup>4</sup>	694265 (ख)
2015-16 तक ब्याज	-	-	-	168391*13%*5 =109454	-	208089*15%*3 =93640	71576*15%*2 =21473	-	-	224567 (I)
बस पड़ाव/टेक्सी पड़ाव/हाट बाजार/पार्किंग आदि के बंदोबस्ती से वसूल किया गया राजस्व	लागू नहीं	960826	869711	643685 (13%)	2073510	2242300 (15%)	2882100 (15%)	3078200	5180052	17930384
देय सेवा कर					213572	277148	356228	380466	777008	2004422 (ग)
वसूली गयी सेवा कर की राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	377326	649087	1026413
देय सेवा कर जो वसूली नहीं गयी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	213572	277148	356228	3140 <sup>5</sup>	127921 <sup>6</sup>	978009 (घ)
2015-16 तक ब्याज	-	-	-	-	213572*15%*4 =128143	277148*15%*3 =124717	356228*15%*2 =106868	3140*15%*1 =471	-	360199 (II)
<b>देय सेवा कर जो वसूली नहीं गयी (ख+घ) =</b>										<b>1672274</b>
<b>ब्याज (I+II) =</b>										<b>584766</b>
<b>देय सेवा कर (क+ग) =</b>										<b>3849486</b>

<sup>3</sup> वर्ष 2013-14 के दौरान देय ₹ 188984 के विरुद्ध ₹ 117408 की वसूली की गयी।

<sup>4</sup> वर्ष 2015-16 के दौरान देय ₹ 914326 के देय सेवा कर के विरुद्ध ₹ 581083 की वसूली की गयी थी।।

<sup>5</sup> वर्ष 2014-15 के दौरान देय ₹ 380466 के देय सेवा कर के विरुद्ध ₹ 377326 की वसूली की गयी थी।

<sup>6</sup> वर्ष 2015-16 के दौरान देय ₹ 777008 के देय सेवा कर के विरुद्ध ₹ 649087 की वसूली की गयी थी।

**परिशिष्ट – 5.1.6 (ग)**  
**देवघर नगर निगम के द्वारा कम/नहीं वसूली गयी सेवा कर की राशि**

(राशि ₹ में)

विवरण	2007-08 (1/6/07 से) (12.36%)	2008-09 (12.36%)	2009-10 (10.30%)	2010-11 (10.30%)	2011-12 (10.30%)	2012-13 (12.36%)	2013-14 (12.36%)	2014-15	2015-16	कुल
दुकान किराये से वसूल किया गया राजस्व	267099	639302	832872	439651	901772	1004660	852534	606455	1101573	6645918
देय सेवा कर						124176			159728	283904 (क)
वसूली गयी सेवा कर की राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
देय सेवा कर जो वसूल नहीं किया गया	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	124176	लागू नहीं	लागू नहीं	159728 <sup>7</sup>	283904 (ख)
वर्ष 2015-16 तक ब्याज	-	-	-	-	-	124176*15%*3 =55879	-	-	-	55879 (I)
बस पड़ाव/टेक्सी पड़ाव/हाट बाजार/पार्किंग आदि के बंदोबस्ती से वसूल की गयी राजस्व	161101	162151	362701	3556812	3979242	4453928	5002851	8656200	27402303	53737289
देय सेवा कर				366352	409862	550506	618352	1069906	3973334	6988312(ग)
वसूली गयी सेवा कर की राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
देय सेवा कर जो वसूली नहीं किया गया	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	366352	409862	550506	618352	1069906	3973334	6988312 (घ)
2015-16 तक ब्याज	-	-	-	366352*13%*5 =238129	409862*15%*4 =245917	550506*15%*3 =247728	618352*15%*2 =185506	1069906*18%*1 =192583	-	1109863 (II)
<b>देय सेवा कर जो वसूली नहीं गयी (ख+घ) =</b>										<b>7272216</b>
<b>ब्याज (I+II) =</b>										<b>1165742</b>
<b>देय सेवा कर A+C</b>										<b>7272216</b>

<sup>7</sup> पूरे वर्ष के लिए 14.5 प्रतिशत की दर से सेवा कर की गणना की गयी।

**परिशिष्ट - 5.1.7**

(संदर्भ: कंडिका- 5.3; पृष्ठ 113)

**निर्माण लागत का एक प्रतिशत वसूलनीय श्रम उपकर की राशि को दर्शाती विवरणी**

क्र.सं.	निधि का नाम	स्वीकृत भवन योजनाओं की सं.	क्षेत्रफल (वर्ग फुट)	निर्माण लागत (क्षेत्रफल X ₹ 800) (₹)	वसूलनीय श्रम उपकर की राशि (निर्माण लागत का 1 प्रतिशत) (₹)	वसूल किए गए श्रम उपकर की राशि (₹)	बकाया श्रम उपकर की राशि (₹)	श.स्था.नि. के संग्रह की लागत श्रम उपकर के 1 प्रतिशत की दर से (₹)
1	नगर निगम, चास	453	1630605.154	1304484123.2	13044841.23	742838	12302003	123020
2	नगर पंचायत, जामताड़ा	86	228311.716	182649373	1826493.73	शून्य	1826494	18265
<b>कुल</b>		<b>539</b>	<b>1858916.87</b>	<b>1487133496.2</b>	<b>14871334.96</b>	<b>742838</b>	<b>14128497</b>	<b>141285</b>

**परिशिष्ट - 5.1.8**  
(संदर्भ: कंडिका- 5.4; पृष्ठ 114)  
**ब्याज की हानि को दर्शाती विवरणी**

क्र.सं.	जमा करने की तिथि	जमा की गई राशि	अवधि	दिनों की संख्या	ब्याज की दर 4% (वर्ष 2014-15)	(राशि ₹ में)
						ब्याज की राशि
1	29/08/14	25000000.00	29/08/14 से 30/03/15	212	$25000000 \times 4 / 100 \times 212 / 365$	580821.92
2	24/09/14	30000000.00	24/09/14 से 30/03/15	186	$30000000 \times 4 / 100 \times 186 / 365$	611506.85
3	18/11/14	197898841.00	18/11/14 से 30/03/15	131	$197898841 \times 4 / 100 \times 131 / 365$	2841068.29
<b>कुल</b>		<b>252898841.00</b>				<b>4033397.06</b>
						<b>4033397</b>